10

# पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

दसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन,1943 (शक)

सीपीएंडएनजी सं.

# दसवां प्रतिवेदन

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
## (2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## अनुदानों की मांगें
## (2022-23)

**22.03.2022** को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

**22.03.2022** को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

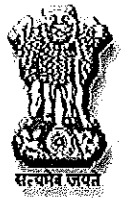


लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन,1943 (शक)

# विषय सूची


| | | |
|---|---|---|
| | समिति की संरचना (2021-22) | iii |
| | प्राक्कथन | iv |
| | प्रतिवेदन | |
| | भाग – एक | |
| | प्रस्तावना | 1 |
| क | मंत्रालय का अधिदेश | 1 |
| ख. | बजटीय आवंटन | 2 |
| ग | डीबीटीएल (एलपीजी और केरोसिन) | 3 |
| घ | बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेकशन (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) | 4 |
| ङ | फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना | 8 |
| च | इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) | 11 |
| छ | भारतीय ऊर्जा पैट्रोलियम संस्थान (आईआईपीई), विशाखापत्तनम | 12 |
| ज | ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु | 15 |
| झ | प्रधान मंत्री जी–वन योजना | 17 |
| ञ | राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि | 19 |
| ट | इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) | 20 |
| ठ | राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी ) | 24 |
| ड | राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम | 27 |
| ढ | कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करना | 31 |
| ण | अन्वेषण और उत्पादन | 37 |
| त | कोल बेड मीथेन | 51 |
| थ | तेल पीएसयू के आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर) | 52 |

| | | |
|---|---|---|
| | भाग – दो | |
| समिति की टिप्पणियाँ/ सिफ़ारिशें ..... | | 55 |
| | परिशिष्ट | |
| परिशिष्ट एक | समिति (2021-22) की 17.02.2022 को हुई 9वीं बैठक का कार्यवाही सारांश | |
| परिशिष्ट दो | समिति (2021-22) की ...03.2022 को हुई 10वीं बैठक का कार्यवाही सारांश | |
| | अनुबंध | |
| अनुबंध एक | मंत्रालय का अधिदेश | 74 |
| अनुबंध दो | ओआईएल द्वारा 2016-17 से 2020-21 तक खोज का सारांश | 76 |
| अनुबंध तीन | ओएनजीसी खोज: 2018-19 (01-04-2019 की स्थिति के अनुसार) | 77 |

(iii)

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

**क्र. सं.** **सदस्यों के नाम**

**लोक सभा**

**श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति**

2. श्रीमती चिंता अनुराधा
3. श्री रमेश बिन्द
4. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
5. श्री गिरीश चन्द्र
6. श्री तपन कुमार गोगोई
7. श्री नारणभाई काछड़िया
8. श्री संतोष कुमार
9. श्री रोड़मल नागर
10. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
11. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
12. श्री एम.के. राघवन
13. श्री चन्द्र शेखर साहू
14. श्री दिलीप शइकीया
15. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
16. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
17. श्री लल्लू सिंह
18. श्री विनोद कुमार सोनकर
19. श्री अजय टम्टा
20. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
21. श्री राजन बाबूराव विचारे

**राज्य सभा**

22. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
23. श्री रिपुन बोरा
24. श्रीमती कान्ता कर्दम
25. श्री ओम प्रकाश माथुर
26. श्री रामभाई हरजीभाई मोकड़िया
27. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
28. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
29. डॉ. वी. शिवदासन
30. श्री ए. विजयकुमार
31. चौधरी सुखराम सिंह यादव

**सचिवालय**

1. श्री एच. राम प्रकाश निदेशक
2. श्री मोहन अरुमाला अवर सचिव

## प्राक्कथन

मैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23)' संबंधी समिति का यह दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2022-23), जिन्हें 08.02.2021 को सभा पटल पर रखा गया था, की जांच की।

3. समिति ने 17.02.2022 को हुई अपनी बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने 15.03.2022 को इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में सामग्री और जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आभार व्यक्त करती है ।

5. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता हेतु उनकी सराहना करती है ।

**नई दिल्ली ;**

**16 मार्च, 2022**
**25 फाल्गुन, 1943 (शक)**

**रमेश बिधूड़ी**
**सभापति**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस**
**संबंधी स्थायी समिति**

# प्रतिवेदन

## भाग-एक

## प्रस्तावना

भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकास कर रहे देशों में से एक है। जनसंख्या में वृद्धि और तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ, भारत की ऊर्जा मांग कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। तथापि, हाल के वर्षों में, देश में ऊर्जा पहुंच में सुधार करने में काफी प्रगति हुई है। भारत का ऊर्जा दृष्टिकोण ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के आसपास केंद्रित है। यह मुख्य रूप से देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की बहुआयामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन, परिशोधन, वितरण, विपणन, आयात, निर्यात और पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है।

हाल ही में, गतिशील वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन का एकाधिकार और अपारदर्शी मूल्य निर्धारण नीतियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बन गई हैं। आज भारत ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसी तरह भारत दुनिया में कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। इसलिए, तेल और प्राकृतिक गैस आने वाले कई वर्षों तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

वार्षिक बजट 01.02.2022 को पेश किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76 को 08.02.2022 को लोकसभा में रखा गया था। लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ङ (1) (क) के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों संबन्धित अनुदानों की मांगों (2022-23) को संबंधित विभाग से संबंधित स्थायी समितियों को भेजा जाता है। इस प्रतिवेदन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति (2021-22) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों (2022-23) की जांच की है।

इस पृष्ठभूमि में मंत्रालय के अधिदेश और अनुदान मांगों (**2022-23**) की जांच के संदर्भ में प्राथमिकताओं को प्राप्त करने की दिशा में उसके द्वारा की गई पहलों का विश्लेषण बाद के पैराग्राफों में किया गया है।

## क . मंत्रालय का अधिदेश

1.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का अधिदेश **अनुबंध-एक** में दिया गया है।

## ख॰ बजटीय आवंटन

1.3 वित्तीय वर्ष **2022-23** के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कुल बजटीय आवंटन, वर्ष **2020-21, 2021-22** के लिए बीई, आरई और वास्तविक के साथ **2021-22** के दौरान किए गए व्यय और पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए आवंटन और किए गए व्यय के विवरण के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है:

)रुपये करोड़ में(

| योजना/मद का नाम | वस्तु शीर्ष | बीई 21-2020 | आरई 21-2020 | वास्तविक 21-2020 | बीई 22-2021 | आरई -2021 22 | वास्तविक 2021-22 (31.1.20 22 तक( | बीई -2022 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | | | | | | | | |
| एलपीजी के लिए डीबीटी | 33 | 35605.00 | 25520.79 | 23666.61 | 12480.00 | 3400.00 | 139.74 | 4000.00 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र )घरेलू प्राकृतिक गैस (सहित देय अन्य राजसहायता | 33 | 457.21 | 498.00 | 494.62 | 450.00 | 391.00 | 160.31 | 811.00 |
| परियोजना प्रबंधन व्यय | 33 | 76.00 | 98.64 | 98.64 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 64.00 |
| मिट्टी के तेल के लिए डीबीटी | 33 | 41.00 | 39.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय अन्य राजसहायता )केरोसिन( | 33 | 3176.00 | 2677.32 | 2677.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वीसीपीएल/असम गैस क्रैकर कॉम्प्लेक्स को फीडस्टॉक राजसहायता | 33 | 0.00 | 265.04 | 1700.00 | 1078.35 | 1042.92 | 1042.92 | 137.50 |
| गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन की योजना )पीएमयूवाई( | 33 | 1118.00 | 9690.00 | 9235.42 | 0.00 | 1618.00 | 1568.00 | 800.00 |
| इंडियन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स लिमिटेड )ओएंडएम (को भुगतान | 31 | 155.00 | 178.24 | 178.24 | 186.34 | 163.54 | 105.02 | 210.58 |
| भारतीय गैस प्राधिकरण-फूलपुरधामराहल्दिया पाइपलाइन परियोजना | 35 | 728.03 | 728.03 | 728.03 | 250.00 | 499.71 | 212.46 | 0.00 |
| इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड )आईजीजीएल( -उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का हिस्सा | 35 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 500.00 | 850.00 | 850.00 | 1798.27 |
| प्रधानमंत्री जी-वन योजना | 35 | 53.00 | 31.80 | 0.00 | 233.31 | 189.38 | 0 | 314.36 |
| राष्ट्रीय जैव-ईंधन कोष | 31 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| सचिवालय -आर्थिक सेवाएं | | 36.62 | 38.17 | 32.50 | 43.16 | 44.90 | 30.49 | 46.91 |
| अंतरराष्ट्रीय योगदान | | 1.75 | 1.90 | 1.83 | 2.25 | 2.25 | 0.14 | 2.25 |
| 1.पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड | | | | | | | | |
| सामान्य सहायता अनुदान | 36 | 13.87 | 1.54 | 1.94 | 13.87 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| वेतन अनुदान सहायता | 31 | 9.66 | 1.94 | 1.54 | 9.66 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2. पेट्रोलियम प्रयोगशाला के लिए सोसायटी | | | | | | | | |
| सामान्य सहायता अनुदान | 36 | 2.70 | 2.70 | 2.67 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| वेतन अनुदान सहायता | 31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.18 |
| भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई ) विशाखापत्तनम की स्थापना | 35 | 31.82 | 45.51 | 281.82 | 95.00 | 95.00 | 23.75 | 150.00 |
| राजीव पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान | 35 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )आरजीआईपीटी(, असम की स्थापना | | | | | | | | |
| ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र,बंगलौर की स्थापना | 35 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| राज्य सरकारों को डिफरेंशियल रॉयल्टी का भुगतान | 31 | 43.20 | 23.20 | 13.54 | 24.00 | 0.93 | 0.43 | 1.11 |
| केरोसिन वितरण सुधारों के लिए राज्यों को नकद प्रोत्साहन | | 442.00 | 266.00 | 576.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 31 | 41994 | 40287.99 | 39876.88 | 15516.78 | 8448.47 | 4199.49 | 8339.86 |
| पूंजी | | | | | | | | |
| इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड )आईएसपीआरएल (को भुगतान | 60 | 690.00 | 2550.00 | 2250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| चरण-II केवर्न के निर्माण के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान | 53 | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 600.00 |
| राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम | 60 | 207.00 | 63.00 | 63.00 | 217.00 | 187.66 | 43.24 | 0.00 |
| कुल | | 907.00 | 2613.01 | 2313.00 | 427.00 | 397.66 | 253.24 | 600.00 |
| **कुल अनुदान )राजस्व +पूंजी (** | | **42901.00** | **42901.00** | **42189.88** | **15943.78** | **8846.13** | **4452.73** | **8939.86** |

## ग. <u>डीबीटीएल (एलपीजी और केरोसिन)</u>

1.4 पेट्रोलियम उत्पादों पर वर्तमान में दी जा रही राजसहायता और वर्तमान में एलपीजी के प्रति सिलेंडर और पीडीएस केरोसिन पर दी जा रही राजसहायता के ब्यौरे प्रस्तुत करने लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी :

"एलपीजी (डीबीटीएल) के लाभ के सीधे अंतरण की शुरुआत से पहले, सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती थी और ग्राहकों से वसूल की जाती थी। सब्सिडी सीधे तेल कंपनियों को दी जाती थी।

सब्सिडी वाले एलपीजी के कदाचार और विपथन को रोकने के लिए, डीबीटीएल योजना पूरे देश में 01.01.2015 से शुरू की गई थी।

डीबीटीएल योजना के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर नकद अंतरण अनुपालन (सीटीसी) उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर (12 सिलेंडर प्रति वर्ष की सीमा तक) की खरीद पर तेल कंपनियों द्वारा सब्सिडी सीधे सीटीसी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है और सरकार द्वारा ओएमसी को मासिक आधार पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

आम आदमी को अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि के प्रभाव से बचाने के लिए, सरकार पीडीएस केरोसिन और घरेलू एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतों को लगातार घटाती-बढ़ाती रहती है। दिनांक 1 मार्च, 2020 से प्रभावी पीडीएस मिट्टी के तेल का खुदरा बिक्री मूल्य अखिल भारतीय आधार पर अल्प-वसूली स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। मई, 2020 से घरेलू एलपीजी

(दिल्ली बाजार में) पर उपभोक्ता को कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। हालांकि, दूर-दराज के क्षेत्रों और कुछ अन्य बाजारों में, कुछ सब्सिडी होती है जो बंदरगाह से बॉटलिंग प्लांट तक उच्च अंतर्देशीय माल ढुलाई के कारण बाजार से बाजार में भिन्न होती है।"

1.5 एलपीजी के लिए डीबीटी के संबंध में बजटीय आवंटन बीई 2022-23 के लिए 4000 करोड़ रुपये रहा है। बीई 2022-23 के लिए आवंटन में पिछले वित्त वर्ष बीई 2021-22 की तुलना में 67.95% की कमी की गई है। इस संबंध में, जब देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर के खुदरा बिक्री मूल्य और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के लिए सब्सिडी घटक के ब्यौरे के साथ-साथ इसके लिए सटीक कारण निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत बताया:

"वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एलपीजी के लिए डीबीटी को आवंटित बजट 12,480 करोड़ रुपये था। हालांकि, एलपीजी के लिए सब्सिडी पर वास्तविक व्यय केवल 140 करोड़ रुपये (दिसंबर 2021 तक) है। दिसंबर, 2021 में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों के आधार पर बीई 2022-23 के लिए 4000 करोड़ रुपये का आकलन किया गया है। इसके अलावा, अंशांकन, यदि आवश्यक हो, तो वर्ष के दौरान किया जाएगा। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का आरएसपी 899.50 रुपये है जो 6 अक्टूबर, 2021 से स्थिर है।

1.6 इसके अलावा, 17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने विस्तार से निम्नानुसार बताया:

"…..एलपीजी के लिए डीबीटी , इसके बारे में सेक्रेटरी साहब ने विस्तार से बताया है। इस साल 12,480 है, लेकिन खर्चा कम हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेण्डर के दाम तो बहुत बढ़े हैं, वह दाम 900 रुपये है। वह कंज्यूमर से पास हो गया है। अब अगर आगे रेट बढ़े तो सब्सिडी देनी होती है। यदि दरें पहले से ही अधिक हैं, तो वास्तव में, हमारे लिए कीमतों में वृद्धि करके सब्सिडी पर अधिक खर्च करने पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।इससे पहले रेट बहुत कम थे, अब मेजर प्राइस 900 रुपये कुछ है। इसे पहले ही उपभोक्ताओं को अंतरित कर दिया गया है । ये सेंसेटिव इश्यूज हैं। अत:, आवश्यकता के आधार पर, यदि इसे बढ़ाया जाना है, तो हम इसके लिए उपबंध कर सकते हैं। ये मुद्दे हैं"।

**घ॰ <u>बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेकशन (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना)</u>**

1.7 गरीब परिवारों नअनुमा बजट में संबंध के योजना कनेक्शन एलपीजी को (पीएमयूवाई) 2021-तथापि थे। गए किए आवंटित रुपए करोड़ 1618 लिए के 22, जनवरी 31, तक 2022

अलावा इसके है। गया दिखाया रुपए करोड़ 1568 वास्तविक लिए के, आगामी वित्त वर्ष 2022-के 23 लिए इसके लिए ने मंत्रालय है। गया किया प्रावधान का रुपए करोड़ 800बताया हैं कि 25.01.तक 2022, ओएमसीज ने अगस्त, 2 पीएमयूवाई में 2021. रूप के भाग के 0 98 से में कनेक्शनों नए करोड़ 1 घोषित में.हैं। किए जारी कनेक्शन एलपीजी लाख 48 इस संबंध में, जब उनसे पीएमयूवाई के संबंध में **98%** लक्ष्य की प्राप्ति के बावजूद **800** करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान करने के कारणों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया :

"पीएमयूवाई चरण- II यानी उज्ज्वला 2.0 के तहत एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के खर्च को पूरा करने के लिए बीई 2021-22 के लिए ₹ 1618 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने योजना के तहत 01.02.2022 तक एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन पहले ही जारी कर दिए हैं और ओएमसी को उज्ज्वला 2.0 के तहत जारी एलपीजी कनेक्शन के बदले में ₹1568 करोड़ अग्रिम जारी किए गए हैं। जनवरी 2022 में, सरकार ने मौजूदा तौर-तरीकों पर उज्ज्वला 2.0 के तहत अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने की योजना को बढ़ा दिया है और खर्च को पूरा करने के लिए बजट अनुमान 2022-23 में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आवेदनों की संख्या के आधार पर, बाद में आरई चरण में अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा सकती है।"

1.8 राज्य /संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 811 |
| आंध्र प्रदेश | 25,193 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2,931 |
| असम | 4,83,387 |
| बिहार | 16,04,999 |
| चंडीगढ़ | 5 |
| छत्तीसगढ | 3,66,916 |
| दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव | 39 |
| दिल्ली | 19,637 |
| गोवा | - |
| गुजरात | 5,40,456 |
| हरियाणा | 11,893 |
| हिमाचल प्रदेश | 2,023 |
| जम्मू और कश्मीर | 8,885 |
| झारखंड | 2,14,310 |

| | |
|---|---|
| कर्नाटक | 3,19,666 |
| केरल | 41,531 |
| लद्दाख | 28 |
| लक्षद्वीप | 10 |
| मध्य प्रदेश | 7,91,919 |
| महाराष्ट्र | 2,65,440 |
| मणिपुर | 22,026 |
| मेघालय | 17,964 |
| मिजोरम | 1,334 |
| नगालैंड | 17,695 |
| उड़ीसा | 4,48,485 |
| पुदुचेरी | 655 |
| पंजाब | 16,013 |
| राजस्थान | 2,54,742 |
| सिक्किम | 3,605 |
| तमिलनाडु | 2,06,009 |
| तेलंगाना | 39,716 |
| त्रिपुरा | 4,576 |
| उत्□र प्रदेश | 19,85,462 |
| उत्तराखंड | 46,759 |
| पश्चिम बंगाल | 20,82,839 |
| **कुल योग** | **98,47,959** |

1.9 समिति द्वारा कनेक्शनों के 1 करोड़ नए एलपीजी लक्ष्य के के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए तौर-तरीकों के बारे में इसकी स्थिति और समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया -

"माननीय प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 10 अगस्त, 2021 को पीएमयूवाई चरण-I के तहत पहले से जारी किए गए 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के अलावा, अखिल भारतीय आधार पर बिना जमानत राशि वाले 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए उज्ज्वला 2.0 की शुरूआत की गई थी।

उज्ज्वला 2.0 के तहत, लाभार्थियों को पहली रीफिल और चूल्हे के साथ बिना जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। गरीब परिवार की वयस्क महिला के नाम से एलपीजी कनेक्शन जारी किया जाता है, बशर्ते परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई एलपीजी कनेक्शन मौजूद न हो और लाभार्थी अन्य निबंधन और शर्तों को पूरा करती हो। लाभार्थी की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से अथवा पहचान की गई अन्य सात श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (एसएसी)

परिवार अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार, अति पिछड़ी श्रेणियां (एमबीसी), प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों, वन्य निवासियों, द्वीपों और नदी द्वीपों में निवास कर रहे लोगों, चाय बगान/पूर्व चाय बागान कामगारों अथवा उक्त श्रेणियों में कवर नहीं किए गए गरीब परिवारों से की जाती है। प्रवासी परिवारों को नया कनेक्शन लेने के लिए पते का प्रमाण (पीओए) और राशन कार्ड (आरसी) का प्रमाण देने के बजाय स्व घोषणा देने का विशेष प्रावधान किया गया है। यह कनेक्शन 14.2 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन (एसबीसी)/5 कि.ग्रा. एसबीसी/5 कि.ग्रा. डबल बॉटल कनेक्शन के रूप में लिया जा सकता है। केवाईसी फॉर्म ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सीएससी/हेल्पडेस्क/वितरक को सीधे जमा करने या समय-समय पर ओएमसीज द्वारा तय किए गए किसी अन्य मोड के माध्यम से भरे जा सकते हैं। दिनांक 25.01.2022 की स्थिति के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने उज्जवला 2.0 के तहत 98.48 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।"

1.10 यह पूछे जाने पर कि सामान्य एलपीजी उपभोक्ताओं की तुलना में पीएमयूवाई एलपीजी लाभार्थियों के संबंध में रिफिल सिलेंडर की वार्षिक खपत का राष्ट्रीय औसत क्या है? मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया :

"वर्ष 2020-21 में घरेलू एलपीजी की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति खपत 14.2 किलोग्राम के 6.2 सिलेंडर थी और वर्ष 2020-21 के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों की औसत रिफिल खपत 14.2 किलोग्राम के 4.39 सिलेंडर थी। पीएमयूवाई लाभग्राहियों का प्रति व्यक्ति एलपीजी उपभोग राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है जिसका कारण यह है की अधिकतर पीएमयूवाई उपभोक्ता समाज के कमजोर वर्ग से हैं।"

1.11 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएमयूवाई के कार्यान्वयन के तौर-तरीके, लक्ष्यित लाभार्थियों और समयसीमा के संबंध में विवरण मांगे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया:

"उज्ज्वला 2.0 को दिनांक 10 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया था, जिसमें पीएमयूवाई चरण-I के तहत पहले से जारी किए गए 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के अलावा अखिल भारत आधार पर बगैर जमानत के 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहली मुफ्त रिफिल और स्टोव के साथ बगैर जमानत के एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। इस शर्त पर कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन मौजूद नहीं हो और आवेदक पात्र श्रेणियों से संबंधित हो, एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवार की वयस्क महिला के नाम पर जारी किया जाता है। आवेदक एसईसीसी सूची से या सात अन्य पहचानी गई श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न के लाभार्थी, योजना (एएवाई),

वनवासी, द्वीपों/नदी द्वीपों के निवासी, चाय बागान/ पूर्व चाय बागान श्रमिक आदि अथवा उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए गरीब परिवार से हो सकता है।

प्रवासी परिवारों के लिए पते के प्रमाण (पीओए) और राशन कार्ड (आरसी) के बजाय स्व-घोषणा करके नए कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कनेक्शन 14.2 कि.ग्रा. एसबीसी/5 कि.ग्रा. एसबीसी/5 कि.ग्रा. डीबीसी के रूप में लिया जा सकता है। केवाईसी फॉर्म ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सीएससी/हेल्पडेस्क/ वितरक को सीधे जमा करने या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा समय-समय पर तय किए गए किसी अन्य माध्यम से भरे जा सकते हैं। दिनांक 01.02.2022 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज ने उज्जवला 2.0 के तहत 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं। जनवरी 2022 में, सरकार ने मौजूदा तौर-तरीकों पर उज्ज्वला 2.0 के तहत अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने की योजना का विस्तार किया है।"

1.12 इसके अलावा, 17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

".....मैं इसको क्लीयर कर देता हूं। एक करोड़ के बारे में मैंबर साहब कह रहे थे तो एक करोड़ का अनाउंसमेंट पिछली बजट स्पीच में किया गया था। एडिश्नल एक करोड़ की घोषणा वर्ष 2021 के बजट में की गई थी। यह अनाउंसमेंट 21 फरवरी को हुआ था और आप 22 फरवरी तक देखें तो हमने वह लगभग 1 करोड़ कर लिए हैं। हम जो 60 लाख दे रहे हैं, वह उन 8 और 9 से सबसे आगे हैं। हम 60 लाख करने जा रहे हैं और इसे हम अगले कुछ महीनों में पूरा कर लेंगे। इसलिए, हमें वहां कोई समस्या नहीं है।"

1.13 यह पूछे जाने पर कि क्या पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य निर्धारण में कोई राजसहायता घटक है,. मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"घरेलू एलपीजी रिफिल का मूल्य पीएमयूवाई और गैर-पीएमयूवाई दोनों उपभोक्ताओं के लिए समान है। लागू राजसहायता राशि सीधे उपभोक्ताओं के पंजीकृत बैंक खातों में जमा की जाती है।"

**ङ॰ <u>फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना</u>**

1'14 यह पूछे जाने पर कि क्या क्या पीडीएच पाइपलाइन परियोजना के पूरे खंड का काम पूरा हो गया है? इस परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा कोई व्यवहार्यता में कमी संबंधी निधीयन करने की आवश्यकता है, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:

"गेल 2655 किलोमीटर लंबी फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना (पीडीएचपीपी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे "प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना" के नाम से जाना जाता है। 2655 किलोमीटर में से 1200 किलोमीटर पाइपलाइन खंड का काम पूरा कर लिया गया है।

पीडीएचपीपी का खंड-वार विवरण नीचे दिया गया है:

| क्रम.सं | पाइप लाइन खंड का नाम | संभावित पूर्ण करने का समय | स्थिति/प्रगति |
|---|---|---|---|
| 1 | फूलपुर से डोभी और स्परलाइन से बरौनी, पटना, वाराणसी और गोरखपुर (पीडीएचपीपी - खंड 1 कुल लंबाई - 750 किमी) | चालू | चालू (750 किमी ) |
| 2 | धामरा-अंगुल पाइपलाइन परियोजना (पीडीएचपीपी का खंड-2ए)<br>कुल लंबाई – 400 किमी | जुलाई '2022 | समग्र वास्तविक प्रगति : 83.7% |
| 3 | डोभी-दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना (पीडीएचपीपी का खंड-2बी)<br>कुल लंबाई - 500 किमी | जून, 2022 | समग्र वास्तविक प्रगति: 98.2%<br><br>नोट: मेनलाइन (डोभी-दुर्गापुर) जिसमें मैटिक्स फर्टिलाइजर, दुर्गापुर और एचयूआरएल, सिंदरी स्पर लाइन्स (~359 किमी) शामिल हैं: चालू |
| 4 | बोकारो- अंगुल पाइपलाइन परियोजना (पीडीएचपीपी का खंड-3ए)<br>कुल लंबाई - 670 किमी | मई, 2022 | समग्र वास्तविक प्रगति: 90.3%<br>• 91 किमी पाइपलाइन खंड चालू. |
| 5 | दुर्गापुर-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना जिसमें सीजीएस कोलकाता स्पर लाइन शामिल है<br>(पीडीएचपीपी का खंड-3बी)<br>कुल लंबाई - 335 किमी | पंचनामा | समग्र वास्तविक प्रगति: 57.4%<br><br>**स्थिति:**<br>3 (1) प्रकाशित : 288.2 किमी<br>6 (1) प्रकाशित: 186.5 किमी<br>आरओयू दे दिया गया/ पंचनामा : 44 किमी<br>धीमी गति से आरओयू के अधिग्रहण, (6(1) प्रस्ताव, मुआवजा निर्धारण और संवितरण के कारण **निर्माण कार्य में देरी** |

# पश्चिम बंगाल में जून 22 तक बाधा मुक्त आरओयू की उपलब्धता के अधीन

सीसीईए ने फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के लिए 12,940 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी लागत की तुलना में 21/09/2016 को 5176 करोड़ रुपए तक सीमित 40% पूंजी अनुदान (व्यवहार्यता में कमी संबंधी निधीयन) को मंजूरी दी है।

| | |
|---|---|
| 31/01/2022 तक पीडीएचपीपी का कुल पूंजीगत व्यय: | 11,747.17 करोड़ रुपए |
| भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान: | 4549.20 करोड़ रुपए |
| वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबंटित पूंजीगत अनुदान: | 839.26 करोड़ रुपए |

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा
अनुमानित रिलीज: 839.26 करोड़ रुपए।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपेक्षित शेष पूंजी अनुदान: 0.00 करोड़ रुपए

इसलिए अनुमान है कि भारत सरकार के बजट से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई वीजीएफ बकाया नहीं होगा। "

1.15 पीडीएच पाइपलाइन परियोजना के बरौनी-गुवाहाटी भाग को पूरा करने के साथ-साथ इस खंड पर अब तक की गई प्रगति के संबंध में मंत्रालय ने निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं:

"पीडीएच पाइपलाइन परियोजना के बरौनी-गुवाहाटी हिस्से को पीडीएच पाइपलाइन परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। पाइपलाइन की लंबाई लगभग 729 किमी है जिसकी क्षमता 2.5 एमएमएससीएमडी है।

असम 263) किलोमीटर 278) बिहार और (किलोमीटर पाइपलाइन गुवाहाटी बरौनी में राज्यों ( जून हिस्सा का, तथापि है। उम्मीद की होने पूरा तक 2022, पश्चिम बंगाल राज्य में आरओयू अधिग्रहण में देरी के कारण हुई देरी में राज्य बंगाल पश्चिम है। हुआ पड़ा खंड मीटरकिलो 189 का करने पूरा भीतर के माह 12 से तारीख की उपलब्धता की आरओयू मुक्त बाधा इसे और है है। लक्ष्य

परियोजना की निर्माण स्थिति इस प्रकार है।

| क्र.सं. | पाइपलाइन खंड का नाम | स्थितिप्रगति/ |
|---|---|---|
| 1 | बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन<br>(पीडीएचपीपी के अभिन्न भाग के रूप में)<br><br>कुल लंबाई- 729 किमी | समग्र वास्तविक प्रगतिः 85.2%<br>**निर्माण की स्थितः**<br>**बिहार (278 किमी)**<br>• वैल्डिंग : 258 किमी<br>• लोअरिंग : 226 किमी<br>**पश्चिमत बंगाल (189 किमी)**<br>• वैल्डिंग : 87 किमी<br>• लोअरिंग: 22 किमी<br>**असम (262 किमी)**<br>• वैल्डिंग : 250 किमी<br>• लोअरिंग : 238 किमी<br>**योग (729 किमी)**<br>• वैल्डिंग : 595 किमी<br>• लोअरिंग : 486 किमी |

1.16 17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

> ".....इसमें कुछ हिस्से रह गए हैं, जहां राइट ऑफ की बात है। कुछ हिस्से ऐसे रह गए हैं, खासकर बंगाल में, जहां राइट ऑफ लेने के लिए बंगाल सरकार भी चेष्टा कर रही है। राइट ऑफ मिलने के बाद, वह काम पूरा करने में हमें कुछ महीने लगते हैं। हमारा अनुमान यह है कि राइट ऑफ मिलने के बाद इसमें एक साल का समय लगेगा।
> .....आपने सही कहा है कि बंगाल में राइट ऑफ मिलने के बाद एक साल में हम इसे पूरा कर लेंगे। बंगाल के अलावा, बाकी पूरी पाइप लाइन 2022 में पूरी हो जाएगी। दुर्गापुर फर्टिलाइजर प्लांट आलरेडी कमीशन होकर रेडी है। बाकी तीनों फर्टिलाइजर प्लांट्स – बरौनी, सिन्दरी और गोरखपुर में आलरेडी गैस सप्लाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार का काम कम्प्लीट हो गया है। झारखण्ड का काम भी करीब-करीब कम्प्लीट हो गया है, 2022 में ओडिशा का काम कम्प्लीट हो जाएगा। वेस्ट बंगाल ने हमें आश्वासन दिया है कि दिसम्बर, 2022 तक धीरे-धीरे राइट ऑफ देंगे तो दिसम्बर, 2023 तक हम इसे कम्प्लीट कर देंगे। जहां तक मेजर कन्ज्यूमर का सवाल है, असम के अलावा, बाकी सारे कन्ज्यूमर्स को हम इसी साल में सप्लाई कर पाएंगे और उनमें से कुछ को आलरेडी सप्लाई चल रही है। जो 6 सीजीडी इससे कनेक्टेड थीं, उनमें से सीजीडी आलरेडी कनेक्टेड हैं और बाकी तीन में हम कैस्केड से गैस पहुंचा रहे हैं और वे भी इस साल में पूरी कनेक्ट हो जाएंगी। युटिलाइजेशन काफी हद तक हो चुका है और जो फर्टिलाइजर प्लांट्स कमिशनिंग स्टेज में हैं तो हमारा अनुमान है कि जुलाई तक करीब 50 प्रतिशत कैपेसिटी युटिलाइजेशन में आ जाएगी"।

च. <u>इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल)</u>

1.17 आईजीजीएल के संबंध में बीई 2022-23 में 1798.27 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। दिनांक 17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान आईजीजीएल की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

> "फिर, हम पूर्वोत्तर गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना पर आते हैं। यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है।यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नॉर्थईस्ट में सब कुछ करने के लिए फोकस हो रहा है। इसके हिसाब से आगे जाकर नॉर्थईस्ट में काम बढ़ता जाएगा। इस साल में हमने 850 करोड़ दिए हैं और अगले साल में 1700 करोड़ रुपये अर्थात दोगुने से भी ज्यादा किया हुआ है, क्योंकि वहां पर काम ज्यादा होने का मूमेंटम पकड़ रहा है।

असम वाला पोर्शन लगभग कम्प्लीट है, जून तक पूरा हो जाएगा, लेकिन वेस्ट बंगाल से होकर पाइपलाइन जाती है और वेस्टबंगाल वाला काम अगर दिसम्बर, 2023 तक पूरा होता है तो असम में भी 2023 में शुरू हो जाएगा।

ये एरियाज डिफिकल्ट हैं। ओडिशा से शुरू होकर बंगाल होते हुए लेकर जाना है। राइट ऑफ में वैल्यू ऑफ लैंड बहुत कॉस्टली है, क्योंकि कोस्टल एरिया है। इसमें कुछ चीजें हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा किया गया है"।

## छ. <u>भारतीय ऊर्जा पैट्रोलियम संस्थान (आईआईपीई ), विशाखापत्तनम</u>

1.18 विशाखापट्टनम में आईआईपीई की स्थापना के संबंध में कुल बजटीय आवंटन

"बजतीय आवंटन निम्नानुसार है :

**(करोड़ रुपए में)**

| 2019-2020 | | | 2020-21 | | | 2021-2022 | | | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **बीई** | **आरई** | **वास्तविक** | **बीई** | **आरई** | **वास्तविक** | **बीई** | **आरई** | **वास्तविक** | **बीई** |
| **31.82** | **22.28** | **22.28** | **31.82** | **45.51** | **81.82** | **95.00** | **95.00** | **23.75*** | **150.00** |

* आज की तारीख तक जारी

1.19 आंध्र प्रदेश में आईआईपीई की वर्तमान स्थिति तथा वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए कार्यों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया :

"आंध्र प्रदेश सरकार ने आईआईपीई के लिए स्थायी परिसर के निर्माण हेतु वंगाली गांव, सब्बावरम मंडल, विशाखापत्तनम में 201.80 एकड़ निशुल्क भूमि को पृथक कर दिया है। फरवरी, 2019 के महीने में भूमि सौंप दी गई और यह बताया गया है कि इसमें से 175.74 एकड़ का स्पष्ट कब्जा है और शेष 26.06 एकड़ भूमि कोर्ट केस के अंतर्गत है।

26.06 एकड़ शेष भूमि कुल 201.80 एकड़ भूमि पर अलग-अलग फैली हुई है।

संस्थान द्वारा निरंतर कार्रवाई करने और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हस्तक्षेप पर, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संस्थान के नाम पर अलग की गई 201.80 एकड़ भूमि में से 157.36 एकड़ का म्यूटेशन जनवरी 2022 महीने में किया गया है। भूमि का कब्जा लेते हुए संस्थान अपनी निर्माण गतिविधियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

वास्तविक समय-सीमा 2016-17 से 2022-23 तक है और लागत अनुमान 655.46 करोड़ रुपये है।"

1.20 यह पूछे जाने पर कि क्या विशाखापत्तनम में आईआईपीई के स्थायी परिसर का काम पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी :

**"(क) मूल समय सीमा:**
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास कार्य को 2 चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है जैसा नीचे बताया गया है:

(i) चरण 1- वर्ष 0 से वर्ष 3 (वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-18)

(ii) चरण 2- वर्ष 4 से वर्ष 7 (2018-2019 से वित्त वर्ष 2020-2021)

**(ख) संशोधित समय सीमा:**
भूमि सुपुर्द करने में देरी और लंबित अदालती मामलों के कारण संशोधित समय-सीमा इस प्रकार है:

(i) चरण 1- वर्ष 1 से वर्ष 3 (वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्त वर्ष 2024-2025)*

(ii) चरण 2- वर्ष 4 से वर्ष 5 (2025-2026 से वित्त वर्ष 2026-2027)*

(*' कोविड-19 के कारण सामान्य परिस्थितियों के अधीन)।"

**1.21** आईआईपीई परिसर के निर्माण के लिए 201.80 एकड़ की कुल अलग-अलग भूमि में से 26.06 एकड़ की मुकदमेबाजी के तहत भूमि की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में (जनवरी, 2022 में) वंगाली गांव, सब्बावरम मंडल, विशाखापत्तनम की सर्वेक्षण संख्या 135/2 और 241/3 में 201.80 एकड़ की कुल हस्तांतरित भूमि में से 'भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान' के नाम पर जोखिममुक्त स्वामित्व वाली 157.36 एकड़ भूमि दी है। ।

26.06 एकड़ भूमि सहित 44.44 एकड़ की शेष शेष भूमि के लिए नामांतरण, जो अभी भी मुकदमेबाजी में है, संबंधित अधिकारियों के साथ कार्रवाई की जा रही है।"

**1.22** आईआईपीई के संबंध में बीई 2021-22 के लिए 95.00 करोड़ रुपए में से केवल 23.75 करोड़ रुपए वास्तविक के रूप में दिखाये गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की :

"हालांकि 2021-22 के लिए बी.ई. 95 करोड़ रुपए था, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा केवल 23.75 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं क्योंकि आईआईपीई द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय कम था, क्योंकि आईआईपीई स्थायी परिसर का निर्माण और इसके बुनियादी ढांचे का विकास लंबित भूमि मुद्दों के कारण पूरी तरह से नहीं किया जा सका।

जैसा कि प्रश्न संख्या 15 (i) के उत्तर में कहा गया है, हाल ही में संस्थान के नाम पर 201.80 एकड़ की हस्तांतरित भूमि में से 157.36 एकड़ की भूमि का म्यूटेशन पूरा किया गया है। निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अनुदान मांगों को यथाशीघ्र प्रस्तुत जायेगा।"

1.23 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/एचपीसीएल द्वारा माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में आईआईपीई के लंबित भूमि अधिग्रहण मामले के निर्णय में तेजी लाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं, तो मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गई -

"पैट्रोलियम और प्रकृतिक गॅस मंत्रालय के निरंतर हस्तक्षेप से 201.80एकड़ में से 157.36 की दाखिल खारिज आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2022 में संस्थान के नाम कर दी गयी है । संस्थान भूमि का कब्जा लेकर निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है ।

आंध्र प्रदेश सरकार ने आईआईपीई के लिए स्थायी परिसर के निर्माण के लिए वंगाली गांव, सब्बावरम मंडल, विशाखापत्तनम में 201.80 एकड़ भूमि को मुफ्त में प्रदान की है। भूमि फरवरी, 2019 माह में सौंप दी गई थी और बताया कि इसमें से 175.74 एकड़ का स्पष्ट कब्जा है और शेष 26.06 एकड़ भूमि न्यायालय मामले के अंतर्गत आती है।

इस संबंध में, मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को संबोधित दिनांक 04.06.2021 और दिनांक 26.11.2021 के सचिव (पीएनजी) के अ.शा. पत्र द्वारा मामले को देखने और संबंधित अधिकारियों को 26.06 एकड़ की शेष भूमि को तुरंत आईआईपीई को सौंपने का निर्देश देने हेतु अनुरोध किया है, ताकि आईआईपीई बिना किसी देरी के निर्माण गतिविधियों को शुरू कर सके, जैसा कि उस दिन प्रासंगिक था। हालांकि, 44.44 एकड़ जमीन सौंपी जानी है, जिला कलेक्टर और राजस्व प्राधिकारी, विशाखापत्तनम जिले ने आश्वासन दिया कि इसे बहुत जल्द इसे हल कर लिया जाएगा।"

1.24 17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

> "इसी तरह आईआईपीई में हमने 150 करोड़ रुपये दिए हैं। मैडम ने इसके बारे में पहले ही बता दिया है। महोदया, आईआईपीई में भूमि का मुद्दा हल हो गया है और 170 एकड़ भूमि उपलब्ध है। निर्माण शुरू कर दिया गया है। हम आपकी चिंता से अवगत हैं। वास्तव में, यदि मैं देखता हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले एक महीने में, हम चर्चा कर रहे थे कि 31 मार्च से पहले कार्य कैसे शुरू किया जाए। मैं आश्वासन दे रहा हूं कि उन्हें आन्ध्र प्रदेश में उपयुक्त स्तर पर उठाया जाएगा और समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। 29 एकड़ के लिए एक भूमि का मुकदमा है। उस भूमि मुकदमेबाजी को अलग करें, शेष क्षेत्र 175 एकड़ है , वे लोगों के साथ बैठे हैं और हम इस 150 करोड़ रुपये को खर्च

करेंगे। मंत्रालय आपकी चिंता से भली-भांति परिचित हैं। हमने इसे रेखांकित किया है। हम इस समस्या को हल करेंगे"।

ज. <u>ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु</u>

1.25 वर्ष **2022-23** के लिए इसके लिए बजटीय आवंटन के साथ-साथ ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में विवरण मांगे जाने पर मंत्रालय निनानुसार जानकारी दी :

"ऊर्जा के लिए उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु की वर्तमान स्थिति और प्रगति:

कर्नाटक सरकार ने ऊर्जा संस्थान, बेंगलुरु को कांबलीपुरा गांव, होसकोटे तालुक, बेंगलुरु ग्रामीण जिला, कर्नाटक में 150 एकड़ भूमि प्रदान की है, तथापि, मानित वन क्षेत्र के विवाद और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आंदोलन के कारण भूमि संस्थान के कब्जे में नहीं है। चारदीवारी का निर्माण एवं अन्य परिसर विकास कार्य वर्ष 2020 से उपरोक्त कारणों से रुके हुए हैं। इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए संस्थान कड़ी मेहनत कर रहा है।

संस्थान अपने परिचालन खर्चों को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) से प्राप्त 50.00 करोड़ रुपये के अग्रिम से पूरा करता है। । पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय) ने ऊर्जा संस्थान, बैंगलुरु के लिए परिसर विकास कार्यों हेतु 100.00 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है।

ऊर्जा संस्थान, बैंगलुरु (ईआईबी) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय) के अनुमोदन से शैक्षणिक सत्र 2017-18 में एम.टेक कार्यक्रम आरंभ करना प्रस्तावित किया है और शैक्षणिक सत्र 2020-21 में डॉक्टरेट कार्यक्रम को शामिल किया हैं।

संस्थान वर्तमान में एनएमआईटी बेंगलुरु में किराए के परिसर से संचालित हो रहा है; तथापि, संस्थान एम.टेक और पीएच.डी. शोधार्थियों को अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला उपकरण, कंप्यूटर, आईटी बाह्य उपकरणों, पुस्तकों आदि की खरीद कर रहा है। केंद्र की ओर से पेश किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

**ऊर्जा संस्थान, बैंगलुरु**

**स्नातकोत्तर कार्यक्रम**

क. ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एम. टेक. (सीट- 15)
ख. पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में एम. टेक (सीट- 15)
ग. अक्षय और वैकल्पिक ऊर्जा में एम. टेक (सीट- 15)
घ. इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में एम. टेक (सीट- 15)

II. डॉक्टरेट कार्यक्रम

क. विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में पीएचडी (सीट- 10)

वर्तमान में एम.टेक में 87 और पीएच.डी कार्यक्रमों में 10 छात्र नामांकित हैं।

**मानव संसाधन**

संस्थान ने केंद्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए 6 नियमित संकाय और 11 स्टाफ सदस्यों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया है।

बजटीय आवंटन निम्नानुसार हैं:

| 2019-2020 | | | 2020-2021 | | | 2021-22 | | | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बीई | आरई | वास्तविक आंकड़े | बीई | आरई | वास्तविक आंकड़े | | आरई | वास्तविक आंकड़े | बीई |
| 1.00 | 0.01 | शून्य | 1.00 | 0.01 | शून्य | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - |

1.26 ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु के संबंध में 2022-23 के बजट अनुमान में किए गए प्रावधान और संस्थान की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा मांगे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"दिनांक 13 अगस्त 2021 को वित्त सचिव और सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई स्थापना व्यय समिति (सीईई) की बैठक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी, बंगलुरू के परिसर स्थापना के लिए 100.00 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी थी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी, बंगलुरू को आगे कोई निधि प्रदान नहीं की जाएगी चूँकि, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी, बंगलौर को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 100.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि जारी की जाएगी, इसलिए 2022-23 के बजट अनुमानों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वर्तमान में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी, बैंगलुरू को एनएमआईटी बेंगलुरु के किराए के परिसर से संचालित किया जा रहा है और पीएचडी के साथ निम्नलिखित स्ट्रीम में एम.टेक कार्यक्रम ऑफर किए जा रहें हैं"।

1.27 यह पूछे जाने पर कि क्या भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे का समाधान हो गया है, मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला अभी भी विवादों में है। कर्नाटक सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी, बंगलौर को 150 एकड़ भूमि आवंटित की है और उसमें से 23.13 एकड़ भूमि को वन विभाग, कर्नाटक सरकार ने डीम्ड वन घोषित किया है।

उपरोक्त के अलावा, स्थानीय किसान भूमि पर अपने अधिकारों का दावा कर रहे हैं और उनके हिंसक आंदोलन के कारण, ग्रामीण बेंगलुरु जिले के कांबलीपुरा गांव, होसकोटे तालुक में स्थल की चाहरदीवारी का निर्माण लंबे समय से रुका हुआ है। संस्थान विवाद को सुलझाने और सीमा निर्माण व अन्य कार्यों को शुरू करने के लिए आंदोलनरत किसानों से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की है, जिसमें न्यायालय से याचिकाकर्ताओं को जमीन से बेदखल न करने का अनुरोध किया गया है।"

1.28 दिनांक 17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"तत्पश्चात्, बंगलौर में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की गई है। व्यय विभाग ने हमें इन सभी केंद्रों के लिए अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा, "आप इस 100 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और हमारे पास वापस आते हैं या जांच भी करते हैं। आखिरकार, ये उत्कृष्टता केंद्र अनुसंधान करते हैं और डिग्री देते हैं। हमने 100 करोड़ रुपये दिए हैं और चूंकि विभाग के पास आंतरिक मुद्दे हैं, व्यय विभाग ने कहा: "आप इस राशि को पहले खर्च करते हैं, और यदि किसी भी फंड की आवश्यकता होती है तो हमारे पास वापस आएं।

**झ. <u>प्रधान मंत्री जी-वन योजना</u>**

1.29 पीएम-जीवन योजना के संबंध में बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं -

**"पीएम-जीवन योजना**

| 2020-21 | | | 2021-2022 | | | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **बीई** | **आरई** | **वास्तविक** | **बीई** | **आरई** | **वास्तविक** | **बीई** |
| **53** | **31.80** | **शून्य** | **233.31** | **189.38** | ***37.875** | **314.36** |

(सभी आंकड़े करोड़ रुपए में)

नोट: * रुपये के प्राप्त बिलों के लिए भुगतान। 37.875 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं और इसे जारी करने का कार्य चल रहा है। "

1.30 इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक उपलब्ध की गई प्रगति के साथ-साथ पीएम जी-वन योजना के उद्देश्यों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"दूसरी पीढ़ी की जैव-रिफाइनरियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एकीकृत जैव-एथेनॉल परियोजनाएं को

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 28.02.2019 "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वतावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" को 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए 1969.50 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ को मंजूरी दी। वर्तमान योजना में गैर-खाद्य बायोमास फीडस्टॉक्स और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स के आधार पर 12 वाणिज्यिक स्तर पर दूसरी पीढ़ी (2जी) बायोएथेनॉल परियोजनाओं और 10 प्रदर्शन पैमाने 2जी बायो एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

उक्त योजना के तहत पानीपत, हरियाणा (आईओसीएल), भटिंडा, पंजाब (एचपीसीएल), बरगढ़, ओडिशा (बीपीसीएल), नुमालीगढ़, असम (एनआरएल) में 4 वाणिज्यिक परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए 150 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और पानीपत, हरियाणा में इंडियन ऑयल की एक प्रदर्शन परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये परियोजनाएं निर्माण के उन्नत चरण में हैं।"

1.31 वित्त वर्ष **2021-22** की वास्तविक जो 'शून्य' के रूप में दिखाया गया है जबकि आरई **2021-22** के दौरान **189.38** करोड़ रुपये का प्रावधान है और इसके कारण के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक का वास्तविक व्यय 37.87 करोड़ रुपए है। तथापि, 31.03.2022 इस योजना में 189 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है "

1.32 17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने 2जी इथेनॉल संयंत्रों की प्रगति के बारे में निम्नानुसार बताया:

"....2जी इथेनॉल के जो प्लांट्स हैं, हम तो गिनती के तीन या चार प्लांट्स ही सरकारी क्षेत्र में लगा रहे हैं। हमसे कहीं ज्यादा निजी क्षेत्र में लग रहे हैं। निजी क्षेत्र में उनकी दुकान तब तक चलती है, जब तक उनका फार्मर्स से टाइअप होता है। उसके बिना तो उनकी दुकान नहीं चल सकती, क्योंकि उनके लिए कहीं कोई रॉ-मेटेरियल का ठेका नहीं लेगा।

मैं आपको यह उदाहरण दे सकता हूं कि इसमें पंजाब में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। इसमें पूरे दस किलोमीटर्स वाले एरिया में अभी से फार्मर्स से टाइअप कर लिया गया है कि मैं आपकी पैडी-स्ट्रॉ खरीदूंगा, इतना दाम दूंगा और जैसे ही आपकी पैडी-स्ट्रॉ तैयार होती है, उसे आप किसी और को मत बेचिए, मुझे बेचिए। इसमें जितने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, ये प्राइवेट सैक्टर में ज्यादा आएंगे, जो 2जी के लिए खरीदेंगे। हमारा रोल सिर्फ यह है कि हम 2जी इथेनॉल के प्रड्यूसर को एक अच्छा दाम दे सकें। अगर उसको अच्छा दाम मिलेगा, तब ही वह किसान को अच्छा दाम देगा। उसको फायदा तब ही है, जब वह हमें सप्लाई करेगा और वह सप्लाई तब ही कर सकता है, जब वह कहीं से खरीदेगा। अगर किसान ही उसके पास से भाग जाएगा, तो वह धंधा कर नहीं सकता। अत: हमारा फोकस यह है कि हम अच्छा दाम दें।

हम एक एश्योर्ड ऑफटेक दे रहे हैं। हमारी ऑयल कंपनीज़ उससे खरीदने को तैयार हैं। हमने यह बता दिया है कि अगले साल क्या दाम होगा, वह हमने तय कर दिया है और कितना हम लेने को तैयार हैं, यह भी हमने तय कर दिया है।

अब आप कहीं से भी इसे इकट्ठा कीजिए। आप फार्मर्स से कनेक्ट करके, इसे इकट्ठा करके प्रड्यूस कीजिए, हम खरीदने को तैयार हैं। हमारा फोकस इस पर ज्यादा रहता है।

अपने उत्तर के समर्थन में, आईओसीएल के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार विस्तार से बताया :

....में इसमें कुछ और जोड़ना चाहूँगा हमने पानीपत में एक 2जी प्लांट लगाया। दो दिन पहले ही हरियाणा गवर्नमेंट फार्मस को 1,000 रुपये पर टन सब्सिडी देने के लिए राजी हो गई है, क्योंकि एग्रीगेशन की टोटल कॉस्ट 2,600 रुपये आ रही है। Haryana Government has added Rs. 1,000 per ton. यह बहुत ही अच्छा मूव है। हम बाकी स्टेट्स से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ वे प्लांट्स वाइबल नहीं होंगे। जैसा कि सेक्रेट्री साहब ने कहा, we can give a price, लेकिन अगर मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट ही ज्यादा है, तो वह वाइबल नहीं होगा। यह कल की डेवलपमेंट है, । मैंने बस आपके साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए सोचा "।

इसके अलावा, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार विस्तार से बताया :

"सर, मैं इस अभियान के बारे में बताता हूं। जैसा कि चेयरमैन, आईओसीएल ने भी अभी बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने हजार रुपये की सब्सिडी दी है। इसके पहले भी जो फसल अवशेष होता है, उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, बेलर और सारी चीज़ों की भी सब्सिडी दी गई है। मशीनरी भी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू गई है। इसमें काफी एक्टिविटी डिफरेंट मंत्रालयों की भी है और इस तरह से फार्मर्स को भी जागरुक किया गया है कि आप एक जगह भी दें, जहां पर इसको स्टोर किया जाए, क्योंकि पराली की वॉल्युम बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण उसे स्टोर करना पड़ता है। इस पर भी काम चल रहा है, उन्होंने आईडेंटिफाय भी किया है।

एक और काम भी किया है। ये प्लांट्स बहुत जगह आ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि एक ही पराली के सोर्स पर तीन-चार प्लांट्स आ जाएं। इनको भी अच्छे से बांटा गया है कि ये प्लांट्स यहां से पराली लेंगे। ये सारे कार्य हुए हैं, जिनमें फार्मर्स को भी सम्मिलित किया गया है। इस कारण ही यह काम आगे बढ़ा है और इस स्तर तक आया है"।

## ञ. <u>राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि</u>

1.33 वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक को बीई और आरई 2021-22 के 1 करोड़ रुपए के मुकाबले 'शून्य' क्यों दिखाया गया है, यह पूछे जाने पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव-ईंधन कोष के अनुमोदन की प्रत्याशा में 1.00 करोड़ रुपये का एक सांकेतिक प्रावधान किया गया था। हालाँकि, राष्ट्रीय जैव-ईंधन कोष को वित्त मंत्रालय द्वारा

अनुमोदित किया जाना बाकी है। इसलिए, वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक आंकडों को शून्य के तौर पर दिखाया गया है।"

1.34 यह पूछे जाने पर कि वित्त मंत्रालय से अनुमोदन में देरी क्यों हुई और क्या वित्त मंत्रालय द्वारा कोई आपत्ति/प्रश्न उठाया गया है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया :

"एमओपीएनजी, राष्ट्रीय जैव ईंधन-2018 नीति में परिकल्पित राष्ट्रीय जैव-ईंधन कोष के निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के साथ काम कर रहा है।

राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि की परिकल्पना जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 के एक भाग के रूप में की गई है। चूंकि जैव-ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति में अवधि संशोधन किए गए हैं, इसलिए इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि की परिकल्पित स्कीम में परिवर्तन हुए हैं। इस योजना को वित्त मंत्रालय सहित सभी पणधारियों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।"

## ट. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण-दो का निर्माण

1.35 निम्नलिखित वित्त वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर आईएसपीआरएल परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि के ब्यौरे मांगे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी :

| आईएसपीआरएल परियोजनाओं के लिए व्यय (वित्त बजट आवंटन के अनुसार) (आंकड़े करोड़ रुपयेमें) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| योजना | 2019-2020 | | | 2020-21 | | | 2021-2022 | | | 2022-2023 |
| | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक 21 दिसम्बर तक | बीई (प्रस्तावित) |
| मैंगलोर पादुर और विशाखापत्तनम परियोजनाओं हेतु आईएसपीआरएल ओ एंड एम व्यय | 120.00 | 120.00 | 116.82 | 155.00 | 178.24 | 146.69 | 186.34 | 163.54 | 108.93 | 210.58* |
| आईएसपीआरएल कंदराओं के लिए कच्चे तेल की खरीद | 1.00 | 1.00 | शून्य | 690.00 | 2,550.00 | 2,653.13 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| चरण –II कंदराओं का निर्माण | 1.00 | 1.00 | शून्य | 10.00 | 0.01 | शून्य | 210.00 | 210.00 | 98.19 | 600.00* |

1.36 विभिन्न चरणों के तहत कार्यनीतिक कंराओं में कच्चे तेल के भंडारण की खरीद के वित्तपोषण की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) कार्यक्रम के पहले चरण के तहत, सरकार ने आईएसपीआरएल के माध्यम से तीन स्थानों यथा विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में 5.33 एमएमटी की कुल क्षमता के साथ एसपीआर सुविधाओं का निर्माण किया है। तीनों सुविधाएं अर्थात विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर क्रमशः जून 2015, अक्टूबर 2016 और दिसंबर 2018 में चालू की गई हैं। इन तीनों सुविधाओं को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

एसपीआर के पहले चरण का कुल भंडार भारत की वर्तमान में कच्चे तेल की आवश्यकता के लगभग 9.5 दिनों की आपूर्ति करने का अनुमान है।

तीनों स्थानों के भण्डारों को निम्न प्रकार से पूर्ण रूप से दर्शाया गया है:-

| स्थान | विशाखापट्टनम | मैंगलोर | पादुर | योग |
|---|---|---|---|---|
| क्षमता /भंडारण में तेल | 1.33 एमएमटी | 1.5 एमएमटी | 2.5 एमएमटी | 5.33 एमएमटी |

पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के प्रकोप और मार्च 2020 से भारत में तालाबंदी के साथ, पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में भारी कमी के कारण रिफाइनरियां न्यूनतम क्षमता पर काम कर रही थीं। इसके साथ कच्चे तेल की उच्च आपूर्ति के परिणामस्वरूप दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई। कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने सामरिक भंडारों को भरने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का फैसला किया।

इस संदर्भ में, सरकार ने पहले पादुर में एक हिस्से को भरने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए बजटीय आवंटन से 690 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में पहले चरण में एसपीआर भरने के लिए 3184 करोड़ रुपये (28 यूएस डॉलर/बीबीएल के रूप में कच्चे तेल की दर और 75.5 रुपये प्रति यूएस डॉलर की विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए) आवंटित किए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) जैसे बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल और पीएसयू एमआरपीएल को एसपीआर में कच्चा तेल भरने की सलाह दी है। मैंगलोर और पादुर के लिए लगभग 16.37 मिलियन बैरल और विशाखापट्टनम के लिए 0.34 मिलियन बैरल कच्चा तेल, इस प्रकार कुल 16.71 मिलियन बैरल। तीनों स्थानों पर कार्यनीतिक भंडार अप्रैल और मई 2020 में पूरी तरह से भर दिया गया है, और कुछ शेष मात्रा अक्टूबर 2020 में भर दी गई है।

जनवरी 2020 में प्रचलित अमरीकी डालर 60 प्रति बीबीएल की तुलना में खरीद की औसत लागत 19डालर/बीबीएल थी। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार को लगभग 5069 करोड़ रुपये (अमरीकी डालर 685.11 मिलियन) की बचत हुई।"

1.37 कार्यनीतिक भंडारण कंदराओं की क्षमता के उपयोग के संबंध में विदेशों/विदेशी कंपनियों के साथ की जारी बातचीत की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय निम्नलिखित जानकारी दी :

"आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के साथ समझौता और समझौता ज्ञापन

मैंगलोर सुविधा में प्रत्येक 0.75 एमएमटी के दो हिस्से हैं। इनमें से एक हिस्से को अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) को दिया गया है। 10 फरवरी 2018 को एडीएनओसी और आईएसपीआरएल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें एडीएनओसी को मैंगलोर में एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। एडीएनओसी ने आईएसपीआरएल की मैंगलोर गुफा में लगभग 5.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल संग्रहित किया है। इस तेल के एक हिस्से का भारत में अपने ग्राहकों को वाणिज्यिक आपूर्ति के रूप में उपयोग कर सकता है, जबकि शेष प्राकृतिक आपदा या भू-राजनीतिक कारकों के कारण आपूर्ति में व्यवधान जैसी आपात स्थितियों में मांग पूरा करने के लिए जारी किए जाने वाले रणनीतिक भंडारण के रूप में उपलब्ध रहेगा।

अन्य विदेशी कंपनियां

29 अक्टूबर 2019 को पादुर, कर्नाटक में आईएसपीआरएल की एक गुफा में कच्चे तेल को भरने के लिए सऊदी अरामको के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, तथापि अप्रैल / मई 2020 में कोविड महामारी में कीमतों में मंदी के कारण, भारत सरकार ने गुफाओं को अपनी निधि से भर दिया (इसका पहले ही बिंदु संख्या (i) के उत्तर में उल्लेख किया गया है)। इस कारण, साऊदी अरामको के साथ समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी।"

1.38 चंडीखोल (उड़ीसा) और पादुर (कर्नाटक) में आईएसपीआरएल के चरण-II के निर्माण के लिए भूमि के आवंटन में वर्तमान प्रगति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया :

"चंडीखोल, (उड़ीसा)

- नियोजित एसपीआर बनाने के लिए लगभग 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है और इसके अतिरिक्त चट्टान के मलबे को फिर से संभालने के लिए लगभग 200 एकड़ भूमि की पहचान की गई है।
- ओडिशा में भूमि अधिग्रहण के लिए ऑनलाइन आवेदन आईएसपीआरएल द्वारा 30 सितंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया है।
- सचिव एमओपीएनजी ने 05 अप्रैल 2021 को भुवनेश्वर में मुख्य सचिव ओडिशा सरकार से मुलाकात की ताकि चंडीखोल परियोजना के लिए भूमि आवंटन में तेजी लाई जा सके।

- सचिव, एमओपीएनजी ने 13 मई 2021 को ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मंत्रालय खुदाई किए गए चट्टान के मलबे को उनके उपयोग के लिए ओडिशा सरकार को नामित करने पर विचार कर सकता है।
- राज्य सरकार खुदाई की गई चट्टान के स्वामित्व की स्थिति की पुष्टि करेगी। इस संबंध में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा ओडिशा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया.
- ओडिशा सरकार के अनुसार, वे चंडीखोल परियोजना के लिए भूमि आबंटन के लिए आवेदन का मूल्यांकन कर रहे हैं और आबंटन के लिए ओडिशा सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

<u>पादुर, कर्नाटक</u>

- कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने जनवरी 2021 में भूमि के लिए कैडस्ट्रल सर्वेक्षण पूरा होने के बाद पादुर चरण 2 के लिए 210 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी।
- केआईएडीबी के अनुरोध पर, 21 मार्च में पादुर और कलंथूर गांव में 210 एकड़ भूमि के अधिग्रहण लागत के लिए केआईएडीबी को 9817 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया है।
- कर्नाटक सरकार ने दिनांक 26.05.2021 के आदेश सं 08 के सीआई 283 सेप 2010-12 के तहत आर एंड आर समिति का गठन किया । आर एंड आर (राहत और पुनर्वास) समिति की बैठक जुलाई और अगस्त 2021 के महीने में आयोजित की गई थी। एसएलएओ के परामर्श से डीसी उडुपी द्वारा आर एंड आर पैकेज तैयार किया जाएगा
- डीसी उडुपी की मंजूरी के बाद, जेएमसी को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) की देखरेख में नवंबर 2021 में शुरू किया गया था, लेकिन आर एंड आर पैकेज की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने इसे रोक दिया था।
- आईएसपीआरएल/एमओपीएनजी जेएमसी गतिविधि में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डीसी उडुपी और एसएलएओ के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। डीसी उडुपी द्वारा भूमि के लिए मुआवजे की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा"।

1.39 यह पूछे जाने पर कि क्या बीई 2022-23 के रूप में प्रदान की गई धनराशि इन दोनों स्थानों पर कच्चे तेल की भंडारण क्षमता के साथ-साथ दोनों परियोजनाओं के लिए है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया :

"हां, बीई 2022-23 के रूप में 600 करोड़ रुपये की धनराशि चंडीखोल और पादुर दोनों परियोजनाओं के लिए है।

भंडारण क्षमता निम्नानुसार होगी:-

चंडीखोलओडिशा = 4 .एमएमटी

पादुर .कर्नाटक = 2.5..एमएमटी

कुल =6.5 एमएमटी .

. आईएसपीआरएल की चरण–II परियोजनाओं के अंतर्गत कच्चे तेल के भंडारण के लिए गुफाओं के निर्माण की स्थिति को स्पष्ट करते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया :

"अगर इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका जो फेज-2 है, कर्नाटक में जो पडुर है, उसी को हम बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, ओडिशा में चंडीखोल करके एक जगह है, वहां पर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। हमने यहां नई लोकेशन आइडेंटिफाई की है। इसमें हमें थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, क्योंकि इसमें लैंड जिस तरह से चाहिए, हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। हमारा संवाद दोनों राज्यों सरकारों से चल रहा है। पूर्व सचिव भी इनसे मिले थे, मंत्री जी के लेवल पर भी इसको लिया गया है और हमारे अफसर लगातार स्टेट गवर्नमेंट से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जमीन का यह काम जल्दी से हो सके, ताकि हम आगे फेज-2 का कार्यक्रम कर सकें। इसमें भी 60 परसेंट खर्चा भारत सरकार से आ रहा है। इनका हम कमर्शियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे"।

निधियों के बारे में और विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया :

"...इसके अलावा आपने आईएसपीआरएल की फेज-1 और फेज- 2 की स्लाइड देखी है। फेज-1 में जीरो रखा है। आईएसपीआरएल में फेज-1 कंप्लीट हो गया है। इसलिए ही अगले साल का प्रावधान जीरो रखा गया है। फेज-2 में 15 हजार करोड़ रुपये का प्लान बना है। उसमें ओड़िशा के चंडीखोल का 8 हजार करोड़ रुपये का है और बाकी पाडूर में एक्सपेंड कर रहे हैं। उसका अभी काम शुरू होना है इसलिए हमने उसका बजट 800 करोड़ रुपये का रखा है। इस प्रोजेक्ट में फेज-1 और फेज-2 में यह फर्क है कि फेज-1 को गवर्नमेंट ने पूरा पैसा देकर करवाया है। फेज-2 में आपको मालूम है कि हम तेल को कॉमर्शियल भी कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट 60 परसेंट सपोर्ट करती है"।

## ठ. राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी)

1.40 आरजीआईपीटी के संबंध में बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं –

(करोड़ रुपए में )

| | 2019-2020 | | | 2020-21 | | | 2021-2022 | | | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | बीई |
| आरजीआईपीटी, जैस अमेठी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.00 | - |
| आरजीआईपीटी, सिवबसागर, असम | 1.00 | 0.01 | शून्य | 1.00 | 0.01 | शून्य | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00 | - |

1.41 वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए कार्यों के विवरण के साथ राय बरेली में आरजीआईपीटी परिसर और असम के शिवसागर में आरजीआईपीटी पर एक अद्यतन प्रस्तुत करने के लिए पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया :

**"झ. राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), जायस, अमेठी की स्थिति:**

**परिसर की अवसंरचना :**

आरजीआईपीटी ने अक्टूबर 2016 से जायस, अमेठी में स्थायी परिसर से संचालन शुरू किया। परिसर में प्रोजेक्शन और कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक 16 कक्षाएँ हैं। 8 बड़ी कक्षाएँ और 8 छोटी कक्षाएँ क्रमशः 125 और 70 छात्रों को समायोजित करने में सक्षम हैं। परिसर में अब 2 शैक्षणिक इकाइयाँ हैं जिसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और जियोइंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, गणितीय विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी और प्रबंधन अध्ययन विभाग शामिल हैं। यह पूर्णतः आवासीय परिसर है। सभी यूजी और पीजी छात्रों को समायोजित करने के लिए परिसर में वाई-फाई, मेस सुविधा और प्ले-कोर्ट जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ 1000 बिस्तरों की क्षमता वाला एक छात्रावास मौजूद है। फैकल्टी और स्टाफ-सदस्यों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए कुल 108 फ्लैट (54 थ्री- बीएचके और 54 टू-बीएचके) परिसर में निर्मित हैं। सेमिनारों, दीक्षांत समारोहों, सम्मेलनों और अकादमिक सभाओं के आयोजन के लिए 500 की क्षमता वाला एक सभागार (विवेकानंद सभागार) मौजूद है, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्रियों श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी और श्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा किया गया था। आरजीआईपीटी के परिसर में बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा), इंडिया पोस्ट ऑफिस और छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो परिसर-वासियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और परिसर के बच्चों के लिए एक प्री-स्कूल है।

**I. आरजीआईपीटी, जायस, अमेठी में भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों की स्थिति:**

| क्र.सं. | विवरण | कार्य प्रारंभ होने का वर्ष | अनुमानित लागत (लाख रुपये में) | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ट्रैक एवं फील्ड | 04.03.2020 | 26.00 | 2021 में पूरा हुआ |
| 2 | कार्यशाला सह इंक्यूबेशन सेंटर<br>विवाहितों के लिए छात्रावास (जी+4)<br>निदेशक का बंगला | 29.10.2020 | 1163.00 | प्रगति पर है। |
| 3 | बालिका छात्रावास (जी+6, विस्तर- 208 छात्र) | 05.02.2021 | 728.24 | प्रगति पर है। |
| 4 | 4थे तल पर फैकल्टी केबिन और लैब्स | 06.07.2021 | 298.32 | प्रगति पर है। |
| | कुल | | 2215.16 | |

**II. राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), सिबसागर, असम की स्थिति**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने राजीव गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी (आरजीआईपीटी) जायस, अमेठी के केंद्र के रूप में सिबसागर, असम में असम ऊर्जा संस्थान की स्थापना की है।

**शैक्षणिक गतिविधियाँ**

असम एनर्जी इंस्टीट्यूट (एईआई), सिबसागर, असम ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 से तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों कार्यक्रमों अर्थात्- पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और पाइपलाइन इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरु की थी।

**II. एईआई, सिबसागर में भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों की स्थिति:**

| क्र.सं. | विवरण | कार्य प्रारंभ होने का वर्ष | अनुमानित लागत (लाख रुपये में) | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चहारदीवारी और द्वार | 10.12.2020 | 866.00 | प्रगति पर है। |
| 2 | बालिका छात्रावास (जी+3) | 06.12.2020 | 704.00 | प्रगति पर है। |
| 3 | भोजन कक्ष | 23.12.2020 | 718.00 | प्रगति पर है। |
| 4 | 2 बालक छात्रावास (जी+3) | 10.12.2020 | 2011.00 | प्रगति पर है। |
| 5 | शैक्षणिक भवन (जी+1) | 06.02.2021 | 3112.00 | प्रगति पर है। |
| | **कुल** | | **7411.00** | |

1.42 यह पूछे जाने पर कि क्या शिवसागर, असम में आरजीआईपीटी परिसर के निर्माण को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा है और क्या जो कार्य प्रगति पर हैं, वे पूरे हो गए हैं, मंत्रालय ने निम्नलिखित ब्योरा प्रस्तुत किया :

"असम सरकार ने शिवसागर में असम ऊर्जा संस्थान को 100 एकड़ भूमि आबंटित की है। यह परिसर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ 2017 से चल रहा है। संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्य सौंपे हैं और तब से तेल पीएसयू से प्राप्त निधि से कार्य पूरा कर लिया गया है ।"

1.43 यह पूछे जाने पर कि आरजीआईपीटी के संबंध में 2022-23 के बजट अनुमान में कोई प्रावधान क्यों नहीं किया गया है और संस्थान की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) को बजट राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। अत: 2022-23 के बजट अनुमान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**वर्तमान प्रगति का विवरण इस प्रकार है:-**

संस्थान ने पिछले दो वर्षों में अकादमिक और अनुसंधान, दोनों कार्यकलापों का उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है। पीएचडी कार्यक्रम के अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अकादमिक पाठरूक्रमों की संख्या 5 से बढ़कर 16 हो गई है। आरजीआईपीटी में नियमित और सहायक संकाय सदस्य सहित संकाय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है और दो केंद्र प्रभावी रूप से शिक्षण शिक्षण गतिविधियों को संभालते हैं। अनुसंधान और विकास के लिए केंद्रीय अनुसंधान सुविधा (सीआरएफ) की स्थापना की गई है, पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में जोर अनुसंधान क्षेत्र की पहचान की गई है, अंतर-अनुशासनिक समूहों का गठन किया गया है और पीएचडी छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, नए संकाय सदस्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है, इन-हाउस परियोजना अनुदान शुरू किया गया है, संयुक्त अनुसंधान कार्य के लिए अकादमिक और डोमेन उद्योगों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, संस्थान और केंद्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और परामर्श संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए जाते हैं।"

1.44 17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने और विस्तार से निम्नानुसार बताया:

> "इसी प्रकार, असम में भी 100 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध हैं। जैसे ही वे खर्च खर्च करते हैं वे वापस आ जाते हैं। एक बार जब खर्च समाप्त हो जाता है, तो हम और धन देने की स्थिति में होंगे।"

## ड. <u>राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम</u>

1.45 जब राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के संबंध में बजटीय आबंटनों के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया -

| 2019-2020 | | | 2020-2021 | | | 2021-2022 | | | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई | वास्तविक | बीई |
| 1623.26 | 575.00 | 529.54 | 207.00 | 63.00 | 63.00 | 217 | 187.66 | 43.23 | 0.00 |

1.46 भारत के तलछटीय बेसिनों के जमीनी मूल्यांकित क्षेत्रों के संबंध में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण की अद्यतन जानकारी के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया :

"भारत में 26 तलछटी बेसिन हैं जो भूमि पर, उथले जल और गहरे जल में 3.36 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। लगभग 1.502 मिलियन वर्ग कि.मी. का क्षेत्रफल अर्थात कुल तलछटी बेसिन क्षेत्र के 48% में पर्याप्त भू-वैज्ञानिक डेटा नहीं है। भारत के ऊर्जा आयात को कम करने की दृष्टि की दिशा में एक कदम के रूप में और भविष्य के अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) गतिविधियों को शुरू करने के आधार के रूप में, सभी गैर-मूल्यांकन क्षेत्रों के मूल्यांकन को तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इस दृष्टि के संरेखण में, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने जहां डाटा उपलब्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त डाटा है, भारत की सभी तलछटी घाटियों में भूवैज्ञानिक डेटा प्राप्त करके भारत की हाइड्रोकार्बन क्षमता का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस अभियान में मुख्य रूप से श्रेणी-द्वितीय और श्रेणी-तृतीय के बेसिनों को मूल्यांकन के लिए लिया गया है। सीसीईए द्वारा अनुमोदित परियोजना, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और डीजीएच द्वारा निगरानी की जा रही है।

राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एनएसपी) अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2022 के अंत तक भूकंपीय सर्वेक्षण गतिविधियों को 46,960 एलकेएम (लक्ष्य का 97.4%) की कुल उपलब्धि के साथ पूरा कर लिया गया है। प्रसंस्करण एवं निर्वचन और अंतिम परिणाम राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर) में जमा करने का कार्य मार्च 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

प्रक्रिया में डेटा अधिग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है क्योंकि यह बेसिन में प्रारंभिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करने के साथ-साथ भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाने में भी मदद करता है। एनएसपी अभियान में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ हासिल किए गए गुणवत्ता डेटा ने कुओं की ड्रिलिंग के लिए योजना बनाने से पहले हाइड्रोकार्बन संभाव्यता धारणा के आकलन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है जो एक पूंजी-गहन परियोजना है जिससे नई संविदा व्यवस्था के लिए बोली लगाने के संबंध में ऑपरेटरों को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है।

कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां दुर्गम इलाके और प्रतिकूल वातावरण के कारण भूकंपीय सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है। ऐसे जटिल क्षेत्रों का मूल्यांकन हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में कुल 40,000 एलकेएम उड़ान एलकेएम ग्रेविटी ग्रेडियोमेट्री और ग्रेविटी-मैग्नेटिक डेटा हासिल किया जाना है। यह परियोजना ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण करने के लिए सेवाओं को किराए पर लेने के लिए निविदा का कार्य प्रगति पर है।"

1.47 यह पूछे जाने पर कि क्या देश में अपतटीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों के लिए 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया :

> "देश में अपतटीय क्षेत्रों के लिए 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, एनएसपी अभियान की अगली कड़ी में, जहां मुख्य रूप से जमीनी बेसिन को मूल्यांकन के लिए लिया गया था, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने अब एक अभियान के रूप में चरणबद्ध तरीके से किए जाने

वाले अपतटीय बेसिनों और पैरामीट्रिक कुओं की ड्रिलिंग सहित सभी तलछटी घाटियों के व्यापक मूल्यांकन के लिए एक योजना तैयार की है। अपतटीय क्षेत्रों के मूल्यांकन के साथ शुरू करने के लिए, अंडमान बेसिन, दक्षिण-पूर्व के सबसे विपुल पेट्रोलियम प्रांतों के समीप बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित एक संभावित उपजाऊ बेसिन को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है। बेसिन में अनुमानित हाइड्रोकार्बन संसाधन क्षमता 180 एमएमटी है और बेसिन का मूल्यांकन मुख्य रूप से बेसिन के पूर्वी भाग में 36 प्रतिशत की सीमा तक किया गया है। बेसिन के पश्चिमी भाग का मूल्यांकन किया जाना बाकी है। बेसिन का एक बड़ा हिस्सा गैर-अन्वेषित अन्वेषण क्षेत्र है जिसमें कोई 2डी / 3 डी भूकंपीय डेटा नहीं है अथवा कवरेज के साथ अपर्याप्त डेटा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पे. और प्रा. गै. मंत्रालय ने अंडमान बेसिन के अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियां शुरू की गई हैं और 22,500 एलकेएम 2डी ब्रॉडबैंड डेटा का अधिग्रहण पहले से ही प्रगति पर है। ईईजेड तक के शेष गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों को भी बाद में करने की योजना है। "

1.48 राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम की सर्वेक्षण गतिविधियों के संबंध में दिसंबर, 2021 के अंत तक लक्ष्य का 97.4% हासिल कर लिया और नेशनल डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर) को डेटा प्रस्तुत करने के लिए डेटा का प्रसंस्करण और निर्वचन मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ). एनएसपी के तहत नियोजित गतिविधियों के अगले सेट के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया :

"भारतीय तलछटी बेसिनों के व्यापक मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, जहां भूवैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं/दुर्लभ हैं, राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत भू-क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। कुल लक्ष्य में से 48,243 एलकेएम, संचयी 46,960 एलकेएम (97.34%) आंकड़े हासिल किए जा सके हैं। एनएसपी के तहत नियोजित गतिविधियों का अगला सेट एयरबोर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण करना है ताकि एनएसपी के शेष क्षेत्रों में जहां भूकंपीय सर्वेक्षण कठिन इलाके को देखते हुए नहीं किया जा सके। कुल 40,000 फ्लाइट एलकेएम एयरबोर्न ग्रेविटी-मैग्नेटिक आंकड़े हासिल करने की योजना है। हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक निधियों को एनएसपी निधियों के माध्यम से जुटाया जाएगा। हवाई सर्वेक्षण की सेवाओं को किराए पर लेने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।"

1.49 एनडीआर को प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा के प्रसंस्करण और व्याख्या की नवीनतम प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"जनवरी 2022 के अंत तक, संचयी 46,346 एलकेएच (अधिग्रहित आंकड़ों का 99%) आंकड़ों का प्रसंस्करण और व्याख्या पूरा हो चुका है। शेष डेटा डिलिवरेबल्स मार्च 2022 तक एनडीआर को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।"

1.50 मुश्किल और दुर्गम इलाकों के मूल्यांकन के लिए लागू किए जा रहे हवाई भूभौतिकीय भूकंपीय सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से बताए जाने के लिए पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया :

"भूकंपीय सर्वेक्षण भूमिगत संरचना की जांच के तरीकों में से एक है और विशेष रूप से तेल और गैस विकास के अन्वेषण चरण से संबंधित है। यह विधि पृथ्वी की सतह के नीचे क्या मौजूद है, इसका पहला विचार देती है। सर्वेक्षण कार्यों में बड़ी संख्या में वाहनों, उपकरणों के साथ-साथ सर्वेक्षण दल के सदस्यों की आवाजाही शामिल है। एनएसपी के तहत लिए गए प्रचालन क्षेत्र देश भर में फैले असमान भूभाग और पारिस्थितिक तंत्र से युक्त थे।

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के दक्षिणी हिस्सों, असम (उत्तरी कछार हिल्स) और अरुणाचल प्रदेश, कावेरी, बस्तर, सतपुड़ा, स्पीति-जांस्कर और करेवा क्षेत्रों जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध, प्रतिकूल पर्यावरण और दुर्गमता भूकंपीय सर्वेक्षण के निष्पादन में चुनौतियां बनी हुई हैं। इन कारणों को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षण नहीं किया जा सका और एनएसपी के शेष क्षेत्रों को पूरा करने के लिए एयरबोर्न भौगोलिक सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक योजना के तहत हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण विधियों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। सर्वेक्षण ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में एयरबोर्न सर्वे की सेवाओं को किराए पर लेने के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।"

1.51 राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के संबंध में कोई बजटीय प्रावधान न करने के कारण और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत यह राशि कैसे खर्च की जा रही है, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया :

> "एयरबोर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित एनएसपी की शेष निधि से की जाती है। चूंकि निविदा प्रक्रिया चल रही है, कार्यान्वयन एजेंसी ऑयल इंडिया लिमिटेड, प्रोफार्मा चालान के आधार पर धन की मांग करेगी बशर्ते निविदा को अंतिम रूप दिया जाए और सफल बोलीदाता को काम दिया जाए। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 में ओआईएल प्रोफार्मा चालान के आधार पर लिए गए अग्रिम के निपटान के लिए पूर्ण कार्य के लिए वास्तविक चालान प्रस्तुत करेगी।"

1.52 दिनांक 17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के बारे में निम्नानुसार बताया :

> "...दूसरे कुएँ खोदने के लिए डेटा चाहिए। ये डेटा दो तरह के होते हैं – 2-डी डेटा और 3-डी डेटा और वे अलग-अलग हिस्सों में हैं। कुछ समुद्र में है, कुछ जमीन पर है। हमने कोशिश की है कि जो हमारा सर्वे है, उसे हम बढ़ाएं। इसके लिए हमने एक नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें करीब 2100 करोड़ रुपये का व्यय था, लेकिन उसमें 97 प्रतिशत काम खत्म हो गया है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप के पास का क्षेत्र था। उसमें काम हो गया है। उसकी डेटा की एनालिसिस चल रही है। फिर हमने 'मिशन अन्वेषण' शुरू किया कि ऑफशोर और ऑनशोर के जो और क्षेत्र हैं, उनका कैसे दे सकें। हमारा जो पूरा

ऑफशोर एरिया है, चाहे वह बॉम्बेहाई के आगे का हो या कृष्णा-गोदावरी में ईस्टर्न साइड का हो, इसका अगर हम पूरा सर्वे कर सकें, इसके लिए कार्य कर रहे हैं"।

और आगे बताते हुए :

".....आपने नेशनल साइज्मिक सर्वे में देखा है कि उसका 97 परसेंट काम हो गया है। इसका मतलब यह है कि लगभग 200 करोड़ रुपये पहले ही दे चुके हैं और जो बाकी बचा है, उसे इस साल में दे रहे हैं इसीलिए नेक्स्ट ईयर में जीरो दर्शाया है। अब डिपार्टमेंट नया प्रोग्राम लेकर आएगा। अभी नया प्रोग्राम कैबिनेट में विचाराधीन है, उसमें ही यह डिस्कशन होगा कि जो नया प्रोग्राम आ रहा है, उसके तहत भारत में लगभग 50 हजार वर्ग किलोमीटर तक जो ऑफशोर सेडिमेंट्स हैं, जो 26 सेडीमेंट्री बेसिन्स हैं, उसको कंप्लीट करना है, उसका डेटा भी अवेलेबल है। अब ऑफशोर में जाकर आगे कुछ करना है, उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा देना है और अवेलेबल पैसे का कैबिनेट नोट बन रहा है। उसके आने के बाद नेशनल साइज्मिक प्रोग्राम्स का फंड बढ़ जाएगा"।

## ढ. <u>कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करना</u>

1.53 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय द्वारा तेल आयात निर्भरता को कम करने और वर्ष 2022 तक 10 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई ब्लू प्रिंट तैयार किया है और क्या इस संबंध में विभिन्न पणधारकों के संयुक्त प्रयासों पर निगरानी के लिए कोई अंतर-मंत्रालयी समन्वय व्यवस्था बनाई गई है, मंत्रालय ने निम्नलिखित लिखित उत्तर दिया :

"सरकार ने भारत के कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है तथा ऊर्जा दक्षता और उत्पादकता में सुधार, माँग प्रतिस्थापन, रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार तथा जैव और वैकल्पिक ईंधन पर जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के निमित्त विभिन्न कार्यनीतियों और पहलों पर जोर-शोर से कार्य कर रहीं है।

सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पहलें की हैं। इन पहलों की सूची इस प्रकार है :

(i) वर्ष 2016 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (एचईएलपी) की शुरूआत की गई।

(ii) वर्ष 2017 में नेशनल डेटा रिपोजिटरी (एनडीआर) चालू हुआ।

(iii) वर्ष 2016 और 2017 में क्रमशः प्री-एनईएलपी (खोजे गए क्षेत्र) और प्री-एनईएलपी (अन्वेषण), उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं विस्तार के लिए नीति।

(iv) राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एनएसपी) के तहत तलछटी बेसिनों में अमूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।

(v) वर्ष 2017 में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन।

(vi) वर्ष 2018 में शुरू किए गए प्री-एनईएलपी और एनईएलपी ब्लॉकों में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के कामकाज को कारगर बनाने के लिए नीतिगत ढाँचा।

(vii) वर्ष 2018 में तेल और गैस के लिए उन्नत रिकवरी विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति लाई गई।

(viii) वर्ष 2014 में हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण के लिए नीति लाई गई।

(ix) निवर्तमान उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदा और नामांकन क्षेत्र, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और संदोहन के लिए नीतिगत ढाँचा प्रस्तुत किया गया।

(x) सरकार ने फरवरी, 2019 में प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत सरकार को बिना किसी उत्पादन या राजस्व के बंटवारे के श्रेणी II और III तलछटी बेसिन के तहत कार्य कार्यक्रम और अन्वेषण ब्लॉकों की बोली को अधिक महत्व दिया गया।

(xi) सरकार ने खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति के तहत दौर-V तक 105 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए हैं।

(xii) गुणवत्ता डेटा प्राप्त करने के लिए अंडमान अपतटीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा भूकंपीय सर्वेक्षण पहले ही शुरू किया जा चुका है जो निवेशकों को भारत में ईएंडपी अन्वेषण के लिए ब्लॉक तैयार करने के निमित्त सक्षम बनाएगा।

(xiii) सरकार ने संबंधित पर्यावरणीय लाभ, आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा में बचत और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के कई उद्देश्यों के साथ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जून, 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति - 2018 अधिसूचित की है। सरकार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के माध्यम से, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम और पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के साथ क्रमशः एथेनॉल और बायोडीजल के सम्मिश्रण के लिए बायोडीजल सम्मिश्रण कार्यक्रम लागू कर रही है।

वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान गैस आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने और देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। सरकार पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क और री-गैसीफाइड लिक्विड नेचुरल गैस (आर-एलएनजी) टर्मिनलों के साथ-साथ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तक ओपन एक्सेस प्रदान करके गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास करने जैसे विभिन्न कदम उठा रही है।

सरकार ने संबंधित पर्यावरणीय लाभ, आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा में बचत और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने जैसे कई उद्देश्यों के साथ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जून, 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति - 2018 को भी अधिसूचित किया है।

सरकार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के माध्यम से, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के साथ क्रमशः एथेनॉल और बायोडीजल के मिश्रण के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम और बायोडीजल मिश्रण कार्यक्रम लागू कर रही है।

किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) योजना की शुरूआत दिनाँक 1 अक्टूबर, 2018 से की है, जिसमें तेल और गैस विपणन कंपनियां संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) की अधिप्राप्ति के लिए संभावित उद्यमियों से रूचि की अभिव्यक्तियाँ ( ईओआई ) आमंत्रित कर रही हैं। इस योजना के तहत सीबीजी के दीर्घकालिक समझौतों के लिए सुनिश्चित मूल्य, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव खाद को किण्वित जैविक खाद (एफओएम) के रूप में शामिल करना; आरबीआई द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के तहत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

तेल पर आयात निर्भरता में कमी लाने के प्रयास करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आयात में कमी की रणनीति में मोटे तौर पर तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता और उत्पादकता में सुधार करना, माँग प्रतिस्थापन पर जोर देना, जैव ईंधन और वैकल्पिक ईंधन/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, एलएनजी टर्मिनलों, सीजीडी टर्मिनलों को विकसित करके और संपीड़ित बायो गैस क्षेत्र को बढ़ावा देकर देश में प्राथमिक ऊर्जा मिश्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।"

**1.54** पिछले चार वर्षों के दौरान कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत कमी हुई, इसका ब्यौरा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"पिछले 4 वर्षों के दौरान तेल और तेल समतुल्य गैस पर आयात निर्भरता की वर्ष-वार प्रवृत्ति निम्नवत है:

| वर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|
| % आयात निर्भरता (ओ+ओईजी) | 75.2 | 76.1 | 78.0 | 77.6 |

1.55 पुराने क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम और अब तक खोज की गई नए संभावित क्षेत्रों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया :

**"तेल क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम**

सरकार द्वारा तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न दीर्घावधि और अल्पावधि निम्नवत पहलें की गई हैं:

1. **दीर्घावधिक पहलें**

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मौद्रीकरण के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत छूटों, विस्तारों और स्पष्टीकरणों से जुड़ी नीति, 2014
ii. खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015
iii. हाईड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, 2016
iv. उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के विस्तार संबंधी नीति, 2016 और 2017
v. कोल बेड मिथेन के शीघ्र मौद्रीकरण संबंधी नीति, 2017
vi. नेशनल डेटा रिपोज़िटरी की स्थापना, 2017
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन, 2017
viii. हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन:-आकलन, 2017
ix. एनईएलपी-पूर्व तथा एनईएलपी ब्लॉकों में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए नीतिगत ढांचा, 2018
x. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने संबंधी नीति, 2018
xi. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को आबंटित कोयला खनन पट्टा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और दोहन संबंधी नीतिगत ढांचा, 2018
xii. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मिथेन (सीबीएम) संविदाएं तथा नामांकन ब्लॉकों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन संबंधी नीतिगत ढांचा।
xiii तेल और गैस का घरेल अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने, प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंस नीति में सुधार, 2019
xiv. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020

**2. अल्पावधिक पहलें:**

i. मौजूदा खोजों का शीघ्र मौद्रीकरण।
ii. रूग्ण कूपों का पुनरुद्धार।
iii. सेवा अनुबंध और आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभितट में छोटी और सीमांत खोजों का मुद्रीकरण।
iv. मौजूदा परिपक्व क्षेत्रों का पुनर्विकास और नए क्षेत्रों/सीमांत क्षेत्रों का विकास।
v. उत्पादन वृद्धि संविदाओं का कार्यान्वयन
vi. आईओआर/ईओआर तकनीकों का कार्यान्वयन

**<u>अब तक खोजे गए नए संभावित क्षेत्रों का विवरण</u>**

**<u>डीएसएफ क्षेत्र:</u>** राजस्व हिस्सेदारी योजना (आरएससी) के तहत भारत सरकार की खोजी गई लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति के तहत 54 संवदिाएं प्रदान की गई हैं।

अब तक, पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) के लिए 29 संविदागत क्षेत्रों को प्रदान किया गया है। इन 29 संविदागत क्षेत्रों की एफडीपी जमा की गई है और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

**पीएससी व्यवस्था के तहत खोजें:** पीएससी व्यवस्था के तहत अब तक 253 हाइड्रोकार्बन खोजों को अधिसूचित किया गया है। ये खोजें मूल्यांकन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

| खोज की स्थिति | तेल | गैस | योग |
|---|---|---|---|
| खोजें जिनसे उत्पादन शुरू हो गया है | 55 | 26 | 81 |
| खोजें जो विकासाधीन हैं या उनसे अभी उत्पादन शुरू होना है | 23 | 21 | 44 |
| वाणिज्यिक दृष्टि से सिद्ध (डीओसी की समीक्षा की गई) | 3 | 14 | 17 |
| खोजें शुरूआती चरण में हैं, डीओसी प्रस्तुत किया जाना है | 3 | 9 | 12 |
| प्रचालक द्वारा खोजों पर कार्रवाई नहीं हुई/परित्यक्त/परित्याग हेतु प्रस्तावित | 27 | 54 | 81 |
| "एमएल क्षेत्र में अन्वेषण" हेतु मौद्रीकरण से संबंधी खोजें | 18 | | 18 |
| **पीएससी व्यवस्था के तहत कुल खोजें** | **129** | **124** | **253** |

**ओएएलपी के तहत खोजें (आरएससी व्यवस्था):** अभी तक ओएएलपी ब्लाकों के तहत 3 खोजों को अधिसूचित किया गया है। एक खोज ब्लॉक सीबी-ओएनएचपी-2017/2 नामत: जया-1 और दो ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2017/1 नामत: केडब्ल्यू2-उदीप-1 व दुर्गा-1 है। विवरण इस प्रकार हैं:

**ओएएलपी-I ब्लॉक सीबी-ओएनएचपी-2017/2 में खोज (मैसर्स वेदांता)**

- **जया-1:** खोज 19.08.2021 को जंबूसर उपदीप-1 कुएं से सिद्ध की गई है और आरएससी के अनुच्छेद 10.1 के अनुसार डीजीएच को 23.08.2021 को खोज की अधिसूचना (एनओडी) प्रस्तुत की गई है। संविदाकार ने परीक्षण के दौरान सितंबर और अक्टूबर के महीने में क्रमशः 1698.62 बीबीएल और 1046.67 बीबीएल कंडेनसेट का उत्पादन और बिक्री की है।

**ओएएलपी-I ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2017/1 में खोजें (मैसर्स वेदांता)**

- **केडब्ल्यू2-उपदीप1:** ठेकेदार ने 14.12.2020 को खोज (तेल) सिद्ध की और पत्र दिनांक 16.12.2020 के पत्र के माध्यम से खोज (एनओडी) की अधिसूचना प्रस्तुत की गई। कूप केडब्ल्यू2-उपदीप-1 का दिनांक 04.10.2021 से शुरू होकर छह महीने की अवधि के लिए

विस्तारित कूप परीक्षण चल रहा है। 22.02.2022 के लिए परीक्षण तेल उत्पादन 65.743 बीबीएल और संचयी परीक्षण कूप से तेल उत्पादन 11683.854 बीबीएल है।

• **डब्ल्यूएम बेसल डीडी फैन (दुर्गा -1)**: मैसर्स वेदांत लिमिटेड ने दिनांक 21.02.2022 के पत्र के माध्यम से डब्ल्यूएम बेसल डीडी फैन (दुर्गा -1) में तेल की खोज को अधिसूचित किया है।

**ओआईएल - खोजें:** पिछले पांच वर्षों के दौरान, ओआईएल ने अपने प्रचालन क्षेत्रों में 19 (उन्नीस) खोजें की हैं। अब तक, उन्नीस खोजों में से सोलह का मुद्रीकरण किया जा चुका है और एक हालिया गैस खोज को चालू वर्ष के भीतर मुद्रीकृत किया जाएगा। एनईएलपी व्यवस्था के तहत शेष दो गैस खोजों को एचपी-एचटी और कठिन जलाशय स्थिति है और आगे के विकास के लिए उप-आर्थिक पाया गया है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-दो** में दिया गया है।

**ओएनजीसी- खोजें:**

ओएनजीसी ने पिछले तीन वर्षों (2018-19 से 2020-2021) के दौरान 35 नई खोजों को अधिसूचित किया है। ओएनजीसी द्वारा वर्ष-वार की गई खोजों का ब्यौरा **अनुबंध-तीन** में दिया गया है।"

देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित जानकारी दी :

> "इसमें हमारा संवाद, खासकर सऊदी अरब, दुबई और अबूधाबी के एमिरेट्स यू.ए.ई. से, अमेरिका से, कतर से, रूस से और ऑस्ट्रेलिया से है। ये हमारे मुख्य देश हैं जहां से हम आयात करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कतर से गैस आती है, सऊदी अरब से तेल आता है। इनके साथ हमारी डायलॉग बहुत जरूरी है। हमारी इनसे बात होती है तो हम कहते हैं कि आप हमारे साथ लौंग टर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट करें क्योंकि कई बार स्पॉट प्राइस ज्यादा होती है और लौंग टर्म में कई बार प्रेडिक्टिबिलिटी, स्टैबिलिटी होती है और हम उस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ तो हमारी यही बात चल रही है कि हम उनसे और खरीदें और उनके साथ हम पाँच से दस सालों का कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, जोकि अमूमन उत्पादक देश लम्बा कॉन्ट्रैक्ट देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि अगर आज 90 डॉलर का तेल है तो क्या पता, कल को यह 150 डॉलर का हो जाए। वे हर वक्त उस उधेड़बुन में लगे रहते हैं। हमारी कोशिश यह बताने की होती है कि यह 50 डॉलर भी हो सकता है, इसलिए अगर लौंग टर्म एग्रीमेंट कर लें तो इसमें हम दोनों का फायदा है"।

ण. <u>अन्वेषण और उत्पादन</u>

1.56 पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के संबंध में अपस्ट्रीम तेल कंपनियों का उनके निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कार्य निष्पादन तथा यदि कोई कमी है, तो उसका कंपनी-वार विवरण देने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया :

"**ओआईएल** का कार्यनिष्पादन पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिसंबर 2021 तक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित (एमओयू "बहुत अच्छा" लक्ष्य) के मुकाबले निम्नानुसार है:

| वर्ष | कच्चा तेल (एमएमटी में) | | प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएम में) | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य (एमओयू बहुत अच्छा) | वास्तविक (संयुक्त उद्यम सहित) | लक्ष्य (एमओयू बहुत अच्छा) | वास्तविक (संयुक्त उद्यम सहित) |
| 2018-19 | 3.661 | 3.323 | 3020 | 2865 |
| 2019-20 | 3.460 | 3.133 | 3460 | 2668 |
| 2020-21 | 3.150 | 2.964 | 2937 | 2454 |
| 2021-22 (बीई) (दिसम्बर, 2021 तक) | 3.183 | 2.262 | 2950 | 2107 |

<u>कमी के कारण:</u>

ओआईएल कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन अधिकतम असम और अरुणाचल प्रदेश में अपनी मुख्य उत्पादक परिसंपत्ति (एमपीए) के परिपक्व क्षेत्रों से कर रहा है। तथापि, कई वर्षों से ओआईएल उत्पादन की प्राकृतिक गिरावट को रोकने में सक्षम रहा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने उत्पादन स्तर को बनाए रखता है। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान ओआईएल के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारण निम्नानुसार हैं:

<u>कच्चा तेल:</u>

- पुराने कुओं में अपेक्षा से अधिक गिरावट
- कुओं में पानी की कटौती में वृद्धि और ओआईएल के सबसे विपुल ग्रेटर हापजान और ग्रेटर चांदमारी क्षेत्रों के कुओं के कुल तरल उत्पादन में गिरावट
- वर्क-ओवर कुओं से नियोजित योगदान से कम
- नए ड्रिलिंग कुओं से नियोजित योगदान से कम
- स्थानीय मुद्दों के कारण उत्पादक कुओं के अचानक बंद होने और खुलने से उत्पादन का परिणामी नुकसान

**प्राकृतिक गैस:**

- ऊर्ध्व उत्पादन व्यवस्था में डाउन-होल संक्षारण समस्याओं के कारण देवहल-नौहोलिया में तीन उच्च उत्पादक गैस कुओं के बंद होने के कारण उत्पादन क्षमता में गिरावट
- साथ ही, उत्पादन स्ट्रीम में CO2 की उपस्थिति के कारण देवहल क्षेत्र में क्षमता हानि
- बालू के प्रवेश जैसी समस्याओं के कारण उत्पादन क्षमता का नुकसान
- स्थानीय अवरोधों के परिणामस्वरूप वेल हेड उत्पादन क्षमता का नुकसान
- प्रमुख कस्टमर ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) का अनियोजित संयंत्र बंद, राजस्थान में आरयूवीएनएल द्वारा प्राकृतिक गैस का कम उत्थान और असम में चाय ग्रिड द्वारा अनियमित उत्थान
- एमपीए क्षेत्रों में बंद और शरारती गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय नुकसान का प्रभाव

**ओएनजीसी** के संबंध में, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018-19 से 2020-21 के दौरान प्रतिशत उपलब्धि के साथ समझौता ज्ञापन लक्ष्य के संबंध में नामांकन एवं एनईएलपी क्षेत्रों (ओएनजीसी शेयर) से ओएनजीसी के स्टैंडअलोन कच्चे तेल (संघनित सहित) और प्राकृतिक गैस उत्पादन का विवरण निम्नानुसार हैं:-

| वर्ष | कच्चा तेल का उत्पादन (एमएमटी) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नामांकन | | | एनईएलपी | | | कुल | | |
| | लक्ष्य | वास्तविक | प्राप्त प्रतिशत | लक्ष्य | वास्तविक | प्राप्त प्रतिशत | लक्ष्य | वास्तविक | प्राप्त प्रतिशत |
| 2018-19 | 22.602 | 21.042 | 93.1 | 0.143 | 0.069 | 48.3 | 22.745 | 21.111 | 92.8 |
| 2019-20 | 22.154 | 20.627 | 93.1 | 0.146 | 0.087 | 59.5 | 22.300 | 20.714 | 92.9 |
| 2020-21 | 20.932 | 20.183 | 96.4 | 0.150 | 0.090 | 60.5 | 21.082 | 20.273 | 96.2 |

| वर्ष | प्राकृतिक गैस का उत्पादन (बीसीएम) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नामांकन | | | एनईएलपी | | | कुल | | |
| | लक्ष्य | वास्तविक | प्राप्त प्रतिशत | लक्ष्य | वास्तविक | प्राप्त प्रतिशत | लक्ष्य | वास्तविक | प्राप्त प्रतिशत |
| 2018-19 | 24.111 | 24.675 | 102.3 | 0.286 | 0.072 | 25.2 | 24.397 | 24.747 | 101.4 |
| 2019-20 | 25.849 | 23.746 | 91.9 | 0.402 | 0.107 | 27.0 | 26.250 | 23.853 | 90.9 |
| 2020-21 | 23.983 | 21.872 | 91.2 | 0.513 | 0.224 | 44.0 | 24.496 | 22.096 | 90.2 |

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018-19 से 2020-21 के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- कोविड-19 लॉक डाउन के कारण स्थानीय और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण कुछ परियोजनाओं का निष्पादन प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप योजनाबद्ध तरीके से इनपुट की उपलब्धता में देरी हुई। क्लस्टर -8 और रत्न आर सीरीज जैसी परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप कम तेल/संघन उत्पादन हुआ। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण बेसिन क्षेत्र के उप-समुद्री कुओं के विलम्ब से पूरा होने के परिणामस्वरूप भी गैस का उत्पादन परिकल्पित से कम हुआ।
- उपभोक्ता द्वारा कम उठाव के कारण कुओं का बंद होना और कोविड -19 लॉकडाउन के कारण क्षेत्र के संचालन के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध, जिसके परिणामस्वरूप कम तेल/घनीभूत उत्पादन और परिणामी नुकसान।
- तेल उत्पादन में प्राकृतिक गिरावट और परिपक्व खेतों के कुओं में पानी की कटौती में वृद्धि।
- पश्चिमी अपतट में डब्ल्यूओ-16 क्लस्टर क्षेत्रों से उत्पादन एमओपीयू (मोबाइल अपतटीय उत्पादन इकाई) के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सका।
- जलाशय/भूवैज्ञानिक अप्रत्याशित घटना के कारण ईओए में वशिष्ठ-एस1 क्षेत्रों से अनुमानित उत्पादन से कम।
- बी-127 क्लस्टर, बेसिन एवं दमन ताप्ती ब्लॉक से नियोजित उत्पादन से कम ।
- राजमुंदरी एसेट के केसनपल्ली वेस्ट फील्ड और असम एसेट के लकवा फील्ड सहित प्रमुख क्षेत्रों से अनुमानित तेल और गैस उत्पादन से कम ।
- कावेरी संपत्ति के रामनद और कुथलम क्षेत्रों में ओटीपीसी, त्रिपुरा और टीएनईबी बिजली संयंत्रों द्वारा कम गैस ऑफ-टेक और जोधपुर और सिलचर परिसंपत्तियों में कोई गैस ऑफ-टेक नहीं।"

1.57 अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम और अगले पांच वर्षों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में संभावित वृद्धि और वर्षवार लक्ष्य तथा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया :

"जहां तक ओआईएल का संबंध है, ओआईएल अपने प्रमुख कच्चे तेल और गैस उत्पादन को असम और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य उत्पादन क्षेत्र (एमपीए) से प्राप्त करता है, जिसमें राजस्थान में इसके खनन पट्टों से आने वाली प्राकृतिक गैस और भारी तेल का कुछ योगदान होता है। एमपीए वार्षिक कच्चे तेल

उत्पादन में 99% से अधिक और वार्षिक प्राकृतिक गैस उत्पादन में 92-93% का योगदान देता है। निकट भविष्य में ओआईएल के उत्पादन में एमपीए का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बने रहने की उम्मीद है।

ओआईएल एमपीए के परिपक्व क्षेत्रों से अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए गहन खोज अभियान और क्षेत्र विकास कार्यक्रम चला रहा है। इन नए अन्वेषणों के अलावा, परिपक्व क्षेत्रों से वसूली बढ़ाने का एकमात्र तरीका व्यापक ईओआर/आईओआर (बढ़ी हुई तेल वसूली गतिविधियां/बढ़ी हुई तेल वसूली) के लिए जाना है। इस संबंध में, ओआईएल मुख्य उत्पादन क्षेत्र (एमपीए) के बहुत पुराने क्षेत्रों से निरंतर स्तर पर उत्पादन बनाए रखने के लिए पानी के इंजेक्शन और अन्य आईओआर/ईओआर प्रौद्योगिकियों को अपना रहा है। इसके अलावा, ओआईएल ने तेजी से विकास के लिए एमपीए में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की भी पहचान की है जिससे निकट भविष्य में इसके उत्पादन के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है।

राजस्थान में, तेल ने चक्रीय भाप उत्तेजना प्रौद्योगिकी के पायलट कार्यान्वयन के साथ बघेवाला फील्ड से अत्यधिक चिपचिपा भारी तेल का उत्पादन करने में एक सफलता हासिल की है। इसके अलावा, कुशल तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र विकास योजनाएं प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा राजस्थान में स्थापित क्षेत्रों से गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

मध्यम से लंबी अवधि के विकास के दृष्टिकोण से, ओआईएल नए हाइड्रोकार्बन भंडार स्थापित करने की तलाश में आवंटित ओएएलपी ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम चला रहा है। ओआईएल ने आवंटित ओएएलपी ब्लॉकों में अन्वेषण गतिविधियां शुरू कर दी हैं। ओआईएल वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम भाग में ओएएलपी ब्लॉकों में अपना ड्रिलिंग अभियान शुरू करेगा। ओएएलपी ब्लॉकों में खोजों से भविष्य में विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

उपरोक्त प्रयासों को मोटे तौर पर ओआईएल द्वारा किए गए लघु, मध्य और दीर्घावधि उपायों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है;

<u>अल्पकालिक उपाय</u>

- बंद/ समाप्त होने से प्रभावित कुओं का पुनरुद्धार।
- कुओं को कुंडल ट्यूबिंग यूनिट और नाइट्रोजन पंपिंग यूनिट के साथ उतारना जहां पानी की लोडिंग हुई थी।
- कृत्रिम भारोत्तोलन के लिए कार्य और गैस लिफ्टों में रूपांतरण।
- संचालन पर कार्य की संख्या बढ़ाना- दिसंबर 2021 तक पूरा किया गया कार्य -154 ।
- कुशलतम उपयोग
- अच्छे प्रदर्शन में सुधार के लिए कुओं के उत्पादन का इष्टतम उपयोग
- कृत्रिम लिफ्ट प्रदर्शन में सुधार के लिए गैस लिफ्ट उपयोग
- नए कुओं की खुदाई
- कुल 22 विकास कुओं एवं 7 अन्वेषण कुओं का काम 31 दिसंबर 2021 तक पूरा किया गया ।

**मध्यावधिक उपाय**

- बाधाओं को दूर करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ओआईएल ने माध्यमिक टैंक फार्म, माकुम में जीसीएस और बागान से मधुबन तक गैस निकासी पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं को पूरा किया है।
- तेनागखत में ईटीपी, नदुआ पूर्वी खगोरिजान में भूतल सुविधाएं और स्थान जीसीएस 6 और स्थान डब्ल्यू/21 पर जल इंजेक्शन स्टेशन जैसी परियोजनाएं अच्छी तरह से प्रगति कर रही हैं।
- डीकोम में कार्बोनेटेड वॉटर इंजेक्शन, ग्रेटर नाहरकटिया क्षेत्र में और उसके आसपास पायलट पॉलीमर फ्लडिंग (सीओ2 ईओआर) और राजस्थान के बघेवाला में सीएसएस जैसी ईओआर परियोजनाएं फाइल की गईं।

**दीर्घकालिक उपाय**

- एक्सप्लोर बघेवाला हेवी ऑयल फील्ड जोधपुर सैंडस्टोन प्ले और अपर कार्बोनेट प्ले के अंतर्गत दोनों में उत्पादन के अवसर रखता है। इसके अलावा असम में नॉर्थ बैंक एरिया और नामरूप में अन्वेषण और विकास के अवसर (ओएएलपी) और निंगरू क्षेत्र में अधिक मूल्यांकन के अवसर और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में ओएएलपी ब्लॉकों में अन्वेषण के अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार राजस्थान में मौजूदा उत्पादक क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्र और महानदी तटवर्ती, अंडमान और केरल कोंकण अपतटीय में आगे की खोज अभियान सफल होने पर विकास की बड़ी संभावनाएं पैदा होने की उम्मीद है।

**योजना के अनुसार अगले 4 वर्षों के लिए ओआईएल के उत्पादन का लक्ष्य निम्नानुसार है:**

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक

| | इकाई | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| कच्चा तेल | एमएमटी | 3.183 | 3.339 | 3.279 | 3.218 |
| कुल प्राकृतिक गैस | बीसीएम | 2.950 | 2.975 | 2.975 | 4.420 |
| कुल योग कच्चा तेल+ प्राकृतिक गैस | एमएमटीओई | 6.133 | 6.314 | 6.254 | 7.638 |

**उपर्युक्त निर्दिष्ट कदमों के अलावा, ओआईएल ने लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाए हैं:**

- विकासात्मक कुओं की ड्रिलिंग: वित्त वर्ष 2021-22 में 33, वित्त वर्ष 2022-23 में 39 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 44 संख्या।
- गैर प्रवाहित कुओं का पुनरुद्धार: वित्त वर्ष 2021-22 में 42, वित्त वर्ष 2022-23 में 80 और वित्त वर्ष 2023-24 में 160 संख्या।
- कुल प्रवाहित कुओं में वृद्धि: वित्त वर्ष 2021-22 में 350, वित्त वर्ष 2022-23 में 425 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 525 संख्या।
- उत्पादन वृद्धि अनुबंध को शामिल करना।
- नई प्रौद्योगिकियों का अनुकूलन।
- मौजूदा क्षेत्रों की प्राप्ति को अधिकतम करना
- विकास योजनाओं में तेजी लाना।
- गैर-उत्पादक पीएमएल और गैर-मुद्रीकृत खोजों का मुद्रीकरण
- ईओआर/आईओआर विधियों का कार्यान्वयन

जहां तक **ओएनजीसी** का संबंध है, वह अपने हाइड्रोकार्बन रिजर्व बेस को बढ़ाने और उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठा रही है।

- नए क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी)/डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स (डीएसएफ) बोली चरण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा घोषित अन्य नए नीतिगत सुधारों में अपने संपूर्ण प्रयास करना।
- मौजूदा क्षेत्रों/बेसिनों में गहरे प्ले और उथले प्ले की निरंतर खोज।
- उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय की तलहटी जैसे भौगोलिक रूप से जटिल और तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों विंध्य, गंगा और बंगाल बेसिन जैसे सीमांत घाटियों में अन्वेषण।
- ईओआर/आईओआर क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करके खोजों का शीघ्र मुद्रीकरण और उत्पादक क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाना
- सीबीएम, शेल गैस/तेल, खंडित बेसमेंट और एचपी-एचटी जलाशयों जैसे अपरंपरागत प्ले की खोज और विकास करना ।
- मौजूदा परिपक्व क्षेत्रों का पुनर्विकास और नए क्षेत्रों/सीमांत क्षेत्रों का विकास। छोटे/सीमांत क्षेत्र, जो स्टैंडअलोन आधार पर व्यवहार्य नहीं थे, उन्हें क्लस्टर विकास अवधारणा के माध्यम से विकसित किया जा रहा है।
- भारत सरकार ने मौजूदा हाइड्रोकार्बन भंडार की रिकवरी कारक में सुधार के लिए उन्नत रिकवरी (ईआर)/बेहतर रिकवरी (आईआर)/अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्पादन विधियों/तकनीकों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति ढांचे को मंजूरी दी है।

नीति ने ओएनजीसी को अपने ईओआर पोर्टफोलियो का और विस्तार करने का अवसर प्रदान किया। ईआर नीति के तहत, तटवर्ती और अपतटीय क्षेत्रों में स्थित ओएनजीसी के 211 क्षेत्रों को स्क्रीनिंग के लिए विचार किया गया था। बाइस (22) तटवर्ती और पांच (5) अपतटीय क्षेत्र ईआर स्क्रीनिंग के लिए योग्य थे। 16 योजनाओं (10 क्षेत्रों) की ईआर स्क्रीनिंग रिपोर्ट को डीजीएच द्वारा अनुमोदित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए ईओआर परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

- बेचरजी पॉलिमर फ्लड
- सनंद एएसपी फ्लड, लानवा साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन (सीएसएस)
- नवागम अपर पे हाई प्रेशर एयर इंजेक्शन (एचपेआई)
- लकवा-लखमनी, रुद्रसागर, उत्तरी काडी, कलोल और शोभासन क्षेत्रों में रासायनिक ईओआर
- मुंबई हाई लो सॉलिनिटी वॉटर फ्लड (एलएसडब्ल्यूएफ)।
- ओएनजीसी पूर्वी अपतट में कृष्णा गोदावरी बेसिन में की गई खोजों को विकसित करने पर विशेष जोर दे रही है। एनईएलपी ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 के क्लस्टर-द्वितीय क्षेत्रों की क्षेत्र विकास परियोजना पूर्वी अपतटीय में कार्यान्वयन के अधीन है और गैस उत्पादन यू क्षेत्र के # यू3-बी और #यू1-बी कुएं से शुरू हो गया है जिसे क्रमशः 5 मार्च 2020 और 28 अगस्त 2021 को उत्पादन पर रखा गया है।
- केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 के एनईएलपी ब्लॉक के क्लस्टर-I क्षेत्रों के लिए, परियोजना लागत को अनुकूलित करने के लिए डीडब्ल्यूएन-ई1, एफ1 और जीएस-29 के एकीकृत विकास की योजना बनाई गई है और यह अनुमोदन के अधीन है।
- केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 के एनईएलपी ब्लॉक के क्लस्टर-III क्षेत्रों के लिए, प्री-फीड अध्ययन की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि अगस्त-2022 तक एफडीपी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
- भारत सरकार के निर्णय के अनुसार बिना किसी उत्पादन हानि के पन्ना-मुक्ता क्षेत्र को 25 वर्षों के बाद 22 दिसंबर 2019 को ओएनजीसी को वापस सौंप दिया गया है।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओएनजीसी द्वारा कार्यान्वयन के अधीन प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

- **क्लस्टर-8 सीमांत क्षेत्र परियोजना का विकास (WO 24-3, D-30 और B-192 क्षेत्र):** इस परियोजना में 2034-35 तक 4.38MMT कच्चे तेल और 0.464 BCM गैस के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।
- **मुंबई हाई साउथ पुनर्विकास परियोजना चरण- IV:** इस परियोजना में वर्ष 2034-35 तक क्रमशः 2.408 एमएमटी और 0.571 बीसीएम के बढ़ते तेल और गैस उत्पादन की परिकल्पना की गई है। इस

परियोजना में ईओआर पद्धति एलएसडब्ल्यूएफ के कार्यान्वयन के माध्यम से 0.795 एमएमटी तेल की भी परिकल्पना की गई है।

- **मुंबई उच्च उत्तर पुनर्विकास परियोजना चरण- IV:** इस परियोजना में वर्ष 2034-35 तक क्रमशः 4.249 एमएमटी और 0.49 बीसीएम के वृद्धिशील तेल और गैस उत्पादन की परिकल्पना की गई है।
- **हीरा पुनर्विकास चरण- III: इस योजना में वर्ष 2034-35 तक क्रमशः** 3.058 एमएमटी और 5.823 बीसीएम के बढ़ते तेल और गैस उत्पादन की परिकल्पना की गई है।
- **एनईएलपी ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 के क्लस्टर-II क्षेत्रों के विकास के लिए फील्ड विकास योजना (एफडीपी):** इस परियोजना में 16 वर्षों के लिए 14.24 एमएमटी तेल और 30.50 बीसीएम गैस के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।.
- **संथाल क्षेत्र का पुनर्विकास:** इस परियोजना में 2029-30 तक 3.44 एमएमटी के संचयी वृद्धिशील तेल लाभ की परिकल्पना की गई है।
- **नंदासन क्षेत्र का पुनर्विकास:** इस परियोजना में 2036-37 तक 0.735 एमएमटी तेल और 0.195 बीसीएम गैस के वृद्धिशील लाभ की परिकल्पना की गई है।
- **लिंच क्षेत्र का पुनर्विकास:** इस परियोजना में 2039-40 तक 1.151 एमएमटी तेल और 0.291 बीसीएम गैस के संचयी वृद्धिशील लाभ की परिकल्पना की गई है।
- **सोभासन कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास:** इस परियोजना में 2039-40 तक 1.365 एमएमटी तेल और 0.123 बीसीएम गैस के संचयी वृद्धिशील लाभ की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के फरवरी 2026 तक पूरा होने की संभावना है।
- **गैस असिस्टेड ग्रेविटी ड्रेनेज स्कीम, कासोमरीगांव, जोरहाट एसेट:** इस परियोजना में 2034-35 तक 0.294 एमएमटी तेल के संचयी वृद्धिशील लाभ की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के फरवरी 2023 तक पूरा होने की संभावना है.
- **मदनम नेल्प-IV ब्लॉक-सीवाई-ओएनएन-2002/2 की क्षेत्र विकास योजना:** इस परियोजना में 2027-28 तक 1.048 एमएमटी तेल और 2032-33 तक 2.702 बीसीएम गैस के संचयी उत्पादन की परिकल्पना की गई है।
- **सीबीएम-बोकारो ब्लॉक की विकास योजना:** इस परियोजना में दो स्थानों (पैच-ए और पैच-बी) से वर्ष 2037-38 तक 4.098 बीसीएम कोल बेड मीथेन गैस की परिकल्पना की गई है।
- **उत्तर काडी पॉलिमर परियोजना:** इस परियोजना में वर्ष 2034-35 तक 0.769 एमएमटी के संचयी वृद्धिशील तेल लाभ की परिकल्पना की गई है।

**वर्ष 2021-2024 के लिए तेल एवं गैस उत्पादन अनुमान :**

| | | 2021-22 आरई | 2022-23 बीई | 2023-24 सीबीई |
|---|---|---|---|---|
| कच्चा तेल (एमएमटी) | स्टैंडअलोन | 19.928 | 20.983 | 21.598 |
| | संयुक्त उद्यम शेयर | 2.174 | 2.168 | 1.598 |
| | **कुल** | **22.102** | **23.151** | **23.196** |
| प्राकृतिक गैस (बीसीएमम) | स्टैंडअलोन | 21.667 | 24.181 | 25.918 |
| | संयुक्त उद्यम शेयर | 0.823 | 0.707 | 0.725 |
| | **कुल** | **22.490** | **24.888** | **26.643** |

1.58 भारत के लिए पिछले दो वित्तीय प्रचलित वर्षों के दौरान लिए कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मासिक मूल्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मासिक मूल्य क्रमशः 60.47 अमरीकी डालर/बीबीएल और 44.82 डालर/बीबीएल था। "

1.59 पिछले तीन वर्षों के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण, अन्वेषी और विकासात्मक वेधन गतिविधियों के संबंध में अपस्ट्रीम तेल कंपनियों की वास्तविक उपलब्धियों के संबंध में 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य बताएं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष-वार चिन्हित निधियां क्या हैं और वास्तविक उपयोग क्या है के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"पिछले तीन वर्षों के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण, खोजपूर्ण और विकासात्मक ड्रिलिंग के संदर्भ में ओआईएल की उपलब्धियां और 2022-23 के लक्ष्य नीचे तालिका में दिए गए हैं:

**वास्तविक डाटा:**

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| प्राचल | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक 31.12.2021 तक | लक्ष्य (ईएंडपी कार्य योजना के अनुसार) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण (जीएलकेएम) | 20.92 | 1389.45 | 13103.28 | 1074.86 | 1050 |
| 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (एसकेएम) | 460.87 | 263.0 | 2104.08 | 289.91 | 470 |
| अन्वेषी वेधन (कूपों की संख्या) | 15 | 11 | 12 | 7 | 34 |
| विकास वेधन (कूपों की संख्या) | 22 | 25 | 24 | 22 | 39 |

**वित्तीय लक्ष्य बनाम उपलब्धियां**

(करोड़ रुपए में)

| वित वर्ष | सर्वेक्षण | | अन्वेषी वेधन | | विकास वेधन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य (बीई) | वास्तविक | लक्ष्य (बीई) | वास्तविक | लक्ष्य (बीई) | वास्तविक |
| 2018-19 | 352.44 | 464.51 | 981.14 | 854.57 | 858.79 | 805.21 |
| 2019-20 | 475.49 | 396.52 | 970.14 | 946.13 | 805.21 | 1,191.58 |
| 2020-21 | 765.00 | 832.54 | 888.00 | 532.80 | 940.00 | 657.10 |
| 2021-22* | 586.00 | 470.73 | 1,288.00 | 423.90 | 779.00 | 788.81 |
| 2022-23 | 574.00 | -- | 1,015.00 | -- | 782.00 | -- |

*नोट *: वास्तविक दिसम्बर, 21 तक (अनंतिम)*

जहां तक ओएनजीसी का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषी इनपुट के अन्वेषण फ्रंट लक्ष्य और उनकी उपलब्धियों निम्नवत हैं:

| वर्ष | लक्ष्य | | | | वास्तविक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2डी (एलकेएम) | 3डी (एसकेएम) | अन्वेषी कूप | विकस कूप | 2डी (एलकेएम) | 3डी (एसकेएम) | अन्वेषी कूप | विकस कूप |
| 2018-19 | 265 | 4601 | 110 | 410 | 246 | 3087 | 105 | 411 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 310 | 5051 | 117 | 394 | 462 | 4250 | 106 | 394 |
| 2020-21 | 2940 | 5205 | 111 | 392 | 1478 | 7138 | 100 | 380 |
| 2021-22* | 2605 | 10802 | 97 | 364 | 1607 | 2487 | 49 | 244 |
| 2022-23 | 2589 | 7415 | 108 | 373 | | | | |

*कार्यनिष्पादन 01.01.2022 तक

<u>नोट:</u> बीई और आरई के अनुसार लक्ष्य

निर्धारित धनराशि और वास्तवकि उपयोग राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

| ब्यौरे | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | 31.12.2021* तक वास्तविक | बीई |
| सर्वेक्षण | 1,919 | 1,678 | 2,077 | 1,697 | 1,968 | 977 | 3,124 |
| अन्वेषी वेधन | 7,183 | 5,532 | 6,229 | 5,539 | 4,359 | 3,229 | 5,655 |
| विकास वेधन | 9,332 | 7,195 | 8,396 | 6,718 | 8,534 | 5,202 | 6,899 |

*अनंतिम*

1.60 ओएनजीसी के संबंध में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संबंध में नामांकन क्षेत्रों और एनईएलपी क्षेत्रों के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया :

"पिछले तीन वर्षों अर्थात 2018-19 से 2020-21 के दौरान प्रतिशत उपलब्धि के साथ एमओयू लक्ष्य के तहत नामांकन और एनईएलपी क्षेत्रों (ओएनजीसी का हिस्सा) से ओएनजीसी के स्टैंडअलोन कच्चे तेल (कंडेनसेट सहित) और प्राकृतिक गैस उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है: -

| वर्ष | कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नामांकन | | | एनईएलपी | | | संपूर्ण | | |
| | लक्ष्य | वास्तविक | उपलब्धि % | लक्ष्य | वास्तविक | उपलब्धि % | लक्ष्य | वास्तविक | उपलब्धि % |
| 2018-19 | 22.602 | 21.042 | 93.1 | 0.143 | 0.069 | 48.3 | 22.745 | 21.111 | 92.8 |
| 2019-20 | 22.154 | 20.627 | 93.1 | 0.146 | 0.087 | 59.5 | 22.300 | 20.714 | 92.9 |
| 2020-21 | 20.932 | 20.183 | 96.4 | 0.150 | 0.090 | 60.5 | 21.082 | 20.273 | 96.2 |

| वर्ष | प्राकृतिक गैस उत्पादन (बीसीएम) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नामांकन | | | एनईएलपी | | | संपूर्ण | | |
| | लक्ष्य | वास्तविक | उपलब्धि % | लक्ष्य | वास्तविक | उपलब्धि % | लक्ष्य | वास्तविक | उपलब्धि % |
| 2018-19 | 24.111 | 24.675 | 102.3 | 0.286 | 0.072 | 25.2 | 24.397 | 24.747 | 101.4 |
| 2019-20 | 25.849 | 23.746 | 91.9 | 0.402 | 0.107 | 27.0 | 26.250 | 23.853 | 90.9 |
| 2020-21 | 23.983 | 21.872 | 91.2 | 0.513 | 0.224 | 44.0 | 24.496 | 22.096 | 90.2 |

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2018-19 से 2020-21 के दौरान ओएनजीसी के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन में प्रतिशत योगदान के साथ नामांकन क्षेत्रों और एनईएलपी क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है: -

| वर्ष | कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | संपूर्ण | नामांकन | % योगदान | एनईएलपी | % योगदान |
| 2018-19 | 21.111 | 21.042 | 99.67 | 0.069 | 0.33 |
| 2019-20 | 20.714 | 20.627 | 99.58 | 0.087 | 0.42 |
| 2020-21 | 20.273 | 20.183 | 99.56 | 0.090 | 0.44 |

| वर्ष | प्राकृतिक गैस उत्पादन (बीसीएम) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | संपूर्ण | नामांकन | % योगदान | एनईएलपी | % योगदान |
| 2018-19 | 24.747 | 24.675 | 99.71 | 0.072 | 0.29 |
| 2019-20 | 23.853 | 23.746 | 99.55 | 0.107 | 0.45 |
| 2020-21 | 22.096 | 21.872 | 98.99 | 0.224 | 1.01 |

उपरोक्त तालिकाओं से यह देखा जा सकता है कि मात्रा की दृष्टि से ओएनजीसी के कुल उत्पादन में एनईएलपी क्षेत्रों का योगदान बहुत कम है। लेकिन अपने एनईएलपी क्षेत्रों से ओएनजीसी के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में मात्रा के साथ-साथ प्रतिशत योगदान दोनों के मामले में वार्षिक आधार पर वृद्धि हुई है।"

1.61 समिति को सूचित किया गया कि वर्ष 2021-22 में 34.5 बीसीएम प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाएगी। यह प्राकृतिक गैस किन ब्लॉकों/कूपों से उत्पन्न होगी इसके बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया :

"इस संबंध में, 2021-22 में गैस उत्पादक क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-चार** पर दी गई है।

1.62 पिछले पांच वर्षों के दौरान ओवीएल द्वारा तेल और गैस की विदेशी संपत्तियों का अधिग्रहण के संबंध में भविष्य की योजनाओं पर एक नोट प्रदान किए जाने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित लिखित उत्तर दिया :

"ओएनजीसी विदेश एक संतुलित पोर्टफोलियो दृष्टिकोण अपनाती है और उत्पादन, खोज, अन्वेषण और पाइपलाइन परिसंपत्तियों के मिश्रण को बनाए रखती है। वर्तमान में, ओएनजीसी विदेश 15 देशों में 35 परियोजनाओं में शामिल है।

अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए ओएनजीसी विदेश विश्व भर में उपलब्ध व्यावसायिक अवसर तलाश करती रहती है और उनके लिए सम्यक तत्परता/उनकी कार्यनीतिक उपयुक्तता के आधार पर अवसरों को बंद करने/प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती है। पिछले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22 की दूसरी तिमाही तक) के दौरान ओएनजीसी विदेश ने विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर सीधे और साथ ही द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से 247 व्यापार अवसरों का मूल्यांकन किया। इन अवसरों की विस्तृत जांच के बाद बोली चरण तक 15 अवसरों के लिए कार्रवाई की गई। 3 व्यावसायिक अवसर अर्थात संयुक्त अरब अमीरात (2018) में लोअर ज़ाकुम रियायत का 4% भागीदारी हित और नामीबिया (2017) और इज़राइल (2018) में अन्वेषण रकबे का अर्जन सफल अर्जन के रूप में में फलीभूत हो सकता है। उपर्युक्त लोअर ज़ाकुम रियायत के अर्जन के बाद से 15,000 बीओपीडी (ओएनजीसी विदेश शेयर) के औसत उत्पादन के साथ ओएनजीसी विदेश बास्केट में आकस्मिक भंडार सहित 25 एमएमटीओई भंडार की वृद्धि हुई है। नामीबिया और इज़राइल में 2 अन्वेषण रकबों का बाद में विस्तृत सम्यक तत्परता के बाद वाणिज्यिक हाइड्रोकार्बन संभाव्यता नहीं होने के कारण परित्याग करना पड़ा।

वर्तमान में ओएनजीसी विदेश अफ्रीका, मध्य पूर्व, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस), एशिया प्रशांत और दक्षिण अमेरिका में कुछ महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है और तेल मूल्यों में स्थिरता और तेल और गैस एमएंडए में अपेक्षित स्थिरता से यह अनुमान है कि भविष्य में इन

अवसरों में से कुछ अवसर कंपनी की विकास योजनाओं के लिए कार्यनीतिक लिहाज अच्छे अवसर हो सकते हैं।"

17.02.2022 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए निम्नलिखित कदमों के बारे में विस्तार से बताया:

".....अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो उसमें हमें जो टर्न-अराउण्ड मिलेगा, वह अगले साल से मिलना शुरू होगा क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि जहां गैस मिल रही है, उसके साथ कई बार क्रूड ऑयल भी मिलती है। जिस तरह से ओ.एन.जी.सी., ऑयल इंडिया और प्राइवेट एक्सप्लोरर्स काम कर रहे हैं और जिस तरह की उनकी योजना है, उसके हिसाब से पिछले 5-6 सालों में जो फैसले लिए गए हैं, अब उनका असर दिखना शुरू होगा क्योंकि यह ऐसा सेक्टर है कि जब इसमें बड़े फैसले लिए जाते हैं तो इनका असर कई सालों के बाद दिखता है। अब इसके कई साल होने लगे हैं। अब हम धीरे-धीरे इनका जो धरातल पर वास्तविक प्रभाव है, वह हमें दिखने लगेगा। गैस में दिखना शुरू हो गया है, क्रूड ऑयल में हमें उम्मीद है कि हम वर्ष 2022-23 में जब अगले साल इसी समय हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे तो शायद आपको यह दिखा सकेंगे कि क्या हम इस मापदंड पर खरे उतरे हैं? इसमें तकनीक और उत्पादन वृद्धि में भी बहुत निवेश हो रहा है"।

ई एंड पी गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आगे बताते हुए, प्रतिनिधि ने निम्नलिखित निवेदन किया:

"...सर, इस स्लाइड में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ हमने अपना एक्रेज भी बढ़ाने की कोशिश की है। जिस फील्ड में हमें गैस या तेल मिल गया है, वहां पर हम अपना उत्पादन कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कोशिश किया है। ऐसी कई फील्ड्स ओ.एन.जी.सी. के पास थीं, जहां पर वे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उन्हें हमने प्राइवेट सेक्टर को दी है। प्राइवेट सेक्टर को 'ओपेन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी' में कई ऐसे ब्लॉक्स दिए हैं। हमने 'कोल बेड मिथेन' के लिए भी ऑप्शन ग्राउण्ड किया है। हमने जो ग्राफ दिखाया है, इसमें हम यही देख रहे हैं कि हमारा जो उत्पादन लक्ष्य है, इसमें अगर हम सिर्फ ओ.एन.जी.सी. और ऑयल का लें तो उनसे हमारा टारगेट 40 एम.एम.टी. है और गैस का 50 बी.सी.एम. है। इसमें बहुत बड़ा योगदान ओ.एन.जी.सी. ऑयल का है और बाकी जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनका है। हमने भी इन से यही अनुरोध किया है कि आप पार्टनरशिप्स दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ कीजिए, ताकि आपको नई तकनीक मिल सके, नई एक्सपर्टीज मिल सके। इसमें हम प्रोजेक्ट्स की बड़ी रिगरस मॉनिटरिंग करते हैं"।

त. <u>कोल बेड मीथेन</u>

1.63 मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत विशेष सीबीएम बोली दौर, 2021 (एससीबीएम-2021) शुरू किया है। और यह पूछे जाने पर कि क्या इस नीति के तहत किसी कंपनी को कोई ब्लॉक दिया गया है और इन ब्लॉकों के तहत उत्पादन शुरू करने की संभावित समय-सीमा क्या है, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया :

"विशेष सीबीएम बोली दौर की शुरूआत दिनाँक 22 सितंबर 2021 को की गई जिसमें 06 राज्यों में फैले लगभग 8500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले 15 सीबीएम ब्लॉकों की पेशकश की गई थी।

चूँकि ब्लॉकों के लिए बोली अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस दौर के तहत आज तक किसी भी ब्लॉक का आवंटन नहीं किया गया है।

विशेष सीबीएम बोली दौर के तहत प्रस्तावित संविदात्मक शर्तों के अनुसार चरणवार समय-सीमा नीचे दी गई है:

अन्वेषण अवधि (चरण- I) - प्रभावी तिथि से 03 वर्ष।

पायलट मूल्यांकन और बाजार सर्वेक्षण और प्रतिबद्धताएं (चरण- II) - अन्वेषण चरण के अंत से 03 वर्ष।

विकास और उत्पादन (चरण- III)- चरण- II के अंत से 20 वर्ष।"

1.64 बोली लगाने में प्रतिभागियों की अब तक की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"अब तक, दो निवेशक सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 50 संगठनों/कंपनियों ने भाग लिया है।"

1.65 पिछले तीन वर्षों में डीजीएच द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों/पहलों पर एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर पी एण्ड एनजी/डीजीएच मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ सीबीएम के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की :

"हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना 8 अप्रैल, 1993 को पेट्रोलियम गतिविधि के पर्यावरण, तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के लिए संतुलित संबंध रखने वाले भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों के ध्वनि प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।"

क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा इन निधियों के वास्तविक उपयोग का ब्यौरा मंगवे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया :

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं | उद्यम का नाम (सीपीएसईज) | वित्त वर्ष 2021-22 | |
|---|---|---|---|
| | | बीई | वास्तविक (अप्रैल-दिस, 2021) |
| 1 | ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) | 29800 | 16929 |
| 2 | ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओवीएल) | 8380 | 3711 |
| 3 | ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) | 4108 | 3152 |
| 4 | गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) | 5861 | 4721 |
| 5 | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) | 28547 | 18560 |
| 6 | भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) | 10000 | 9203 |
| 7 | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) | 14500 | 10939 |
| 8 | मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) | 850 | 387 |
| 9 | चैन्ने पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) | 384 | 488 |
| 10 | नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) | 2000 | 135 |
| 11 | बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएल) | 40 | 13 |
| 12 | इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) | 150 | 53 |
| | योग | 104620 | 69992 |

1.67 पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान विभिन्न शीर्षों का ब्यौरा ,जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने अपना बजटीय आवंटन किया है। विभिन्न तेल पीएसयू के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरई और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता, यदि कोई हो, के कारण बताए जाने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित लिखित उत्तर दिया :

(करोड़ रुपए में)

| | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्र/क्रियाकलाप | बीई | आरई | वास्तविक | बीई | आरई** | वास्तविक* | बीई ** |
| अन्वेषण और उत्पादन | 52019 | 51750 | 52994 | 49186 | 47957 | 29314 | 50536 |
| रिफाइनरी और विपणन | 41654 | 42562 | 52663 | 49804 | 49367 | 35626 | 53876 |
| पेट्रोरसायान | 4754 | 4499 | 4762 | 5441 | 6016 | 4986 | 6742 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इंजीनियरिंग | 95 | 110 | 776 | 190 | 190 | 67 | 200 |
| कुल तेल और गैस क्षेत्र | 98522 | 98922 | 111194 | 104620 | 103530 | 69992 | 111354 |

*: 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए अनंतिम आंकडे।

**: प्रस्तावित आरई 2021-22 तथा बीई 2022-23 वित्त मंत्रालाय के बजट परिवत्र के संशोधन हेतु प्रक्रियारत हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिसंबर 2021 तक का व्यय प्रस्तुत संशोधित अनुमान के अनुरूप है और चालू वर्ष के लक्ष्य (बीई/आरई) के वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक हासिल होने की उम्मीद है।"

---

## भाग – दो
## टिप्पणियां/सिफारिशें

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331ङ (1) (क) के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगें (2022-23) विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को सौंप दी जाती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2021-22) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच की है। समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं:-

### सिफारिश संख्या 1

बजटीय आवंटन

समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2022-23 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कुल आवंटन आरई 2021-22 के 8846.13 करोड़ रु. रुपये की तुलना में 8939.86 करोड़ रुपये है। समिति यह भी नोट करती है कि बजट अनुमान 2022-23 में एलपीजी योजना के डीबीटी के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये और इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) के लिए 1798.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, आरई 2021-22 के 189.38 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में पीएम-जी-वन योजना के तहत 314.36 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। आरई 2021-22 के 1618 करोड़ रुपये की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई) के संबंध में 800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसी तरह, पूंजी शीर्षों के तहत, समिति पाती है कि कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारण क्षेत्रों के निर्माण के लिए चरण- दो के तहत आईएसपीआरएल को 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आईआईपीई, विशाखापत्तनम के संबंध में, बीई 2022-23 में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान

किया गया है और बजट अनुमान 2022-23 में राष्ट्रीय जैव ईंधन कोष के तहत 1 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। तथापि, समिति इस बात से निराश है कि ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बैंगलोर और राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम को बीई 2022-23 के दौरान कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

समिति यह भी पाती है कि विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पी एंड एनजी मंत्रालय) का बजटीय आवंटन क्रमशः बीई 2020-21 के लिए 42901 करोड़ रुपये, बीई 2021-22 के लिए 15943 करोड़ रुपये और बीई 2022-23 के लिए 8939.86 करोड़ रुपये रहा है, इस तरह समिति विगत वित्त वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट के रुझान को देख रही है।

समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय की योजनाओं जैसे एलपीजी के लिए डीबीटी, गरीब परिवारों को मिट्टी का तेल और एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई) के लिए डीबीटी से देश के आम आदमी को लाभ होता है, जबकि पीएम जी-वन-योजना, गुफाओं के निर्माण और ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बंगलौर की स्थापना के लिए आईएसपीआरएल चरण - दो के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए आवश्यक अवसंरचना तैयार करने और क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव करती है। इसलिए, समिति, मंत्रालय से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के लिए अधिक बजटीय आवंटन की मांग करने की सिफारिश करती है, ताकि बेहतर और कुशल कार्यान्वयन के लिए योजनाओं का उपयोग किया जा सकेगा और अभीष्ट लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचेगा।

## सिफारिश संख्या 2

### एलपीजी के लिए डीबीटी

समिति नोट करती है कि पिछले वित्त वर्ष के 12480 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में एलपीजी के लिए डीबीटी के संबंध में

4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तथापि, दिसंबर, 2021 तक एलपीजी के लिए सब्सिडी के लिए वास्तविक व्यय लगभग 140 करोड़ रुपये है। समिति को यह भी पता चला है कि 6 अक्टूबर, 2021 से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य 899.50 रुपये है। समिति पाती है कि कदाचार और सब्सिडी वाले एलपीजी के विपथन को रोकने के लिए 1 जनवरी, 2015 से पूरे देश में डीबीटीएल योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर की बिक्री की जाती है। तत्पश्चात, तेल कंपनियों द्वारा प्रति वर्ष 12 सिलेंडरों की अधिकतम सीमा तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खरीद पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। तत्पश्चात, मंत्रालय द्वारा तेल कंपनियों को मासिक आधार पर सब्सिडी घटक की प्रतिपूर्ति की जाती है।

समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 में घरेलू एलपीजी की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति खपत 14.2 किलोग्राम के 6.2 सिलेंडर और वर्ष 2020-21 के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों की औसत रीफिल खपत 14.2 किलोग्राम के 4.39 सिलेंडर थी। समिति को यह भी पता चला है कि मई, 2020 के बाद से बंदरगाह से बॉटलिंग प्लांट तक अधिक अंतर्देशीय भाड़े के कारण दूर-दराज के क्षेत्रों और कुछ अन्य बाजारों को दी जाने वाली कुछ सब्सिडी को छोड़कर घरेलू एलपीजी पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है।

समिति चाहती है कि मंत्रालय पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करे ताकि उन्हें कीमतों में वृद्धि की अनिश्चितता से बचाया जा सके और उन्हें एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो अन्यथा एलपीजी सिलेंडरों के उपयोग को बंद करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे पीएमयूवाई योजना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और तक ऊर्जा पहुंच भी प्रभावित होगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय/ओएमसी को

पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए सब्सिडी घटक को कम से कम 4 एलपीजी सिलेंडर प्रति वर्ष तक विस्तारित करना चाहिए ताकि यह समाज के गरीब वर्गों के लिए बोझ न बने।

## सिफारिश संख्या 3

## गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई)

समिति नोट करती है कि गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पीएमयूवाई योजना के संबंध में बजट अनुमान 2022-23 में 800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समिति यह भी पाती है कि सरकार ने मौजूदा रुपरेखा के साथ उज्जवला 2.0 के तहत 60 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए जनवरी, 2022 में योजना को विस्तारित किया। इन अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने के व्यय को पूरा करने के लिए प्रस्तावित आवंटन किया गया है। तथापि, समिति को यह आश्वासन दिया गया है कि यदि कनेक्शनों की संख्या लक्ष्य से अधिक हो जाती है, तो मंत्रालय संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के अतिरिक्त आवंटन की मांग कर सकता है। समिति यह नोट कर संतुष्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान योजना के तहत लक्षित 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों में से 25.01.2022 तक लगभग 98.48 लाख कनेक्शन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस संबंध में, समिति योजना की उपलब्धि से संतुष्ट होते हुए योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के प्रयासों की सराहना करती है। समिति, मंत्रालय/ओएमसी से अगले वित्त वर्ष में पीएमयूवाई के तहत 60 लाख के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की सिफारिश करती है और योजना का लाभ लेने की इच्छा व्यक्त करने वाले अधिक आवेदकों के मामले में तदनुसार, मंत्रालय इसके लिए आरई चरण में अतिरिक्त निधियों की मांग कर सकता है।

## सिफारिश संख्या 4

### गैस पाइपलाइन परियोजनाएं

समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2022-23 में पीडीएचपी परियोजना के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के भाग के रूप में, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना को कार्यान्वित किया गया है। परियोजना के 2655 किलोमीटर लंबे खंड में से 1200 किलोमीटर का पाइपलाइन खंड पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। समिति को यह भी पता चला है कि सीसीईए ने 12,940 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी लागत की तुलना में पीडीएचपी पाइपलाइन परियोजना के लिए 21.09.2016 को 5176 करोड़ रुपये की 40% पूंजी अनुदान (व्यवहार्यता अंतर निधि) को अनुमोदित किया है। इसके अलावा, समिति को पता चला है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 339.56 करोड़ रुपये की अनुमानित वीजीएफ की आवश्यकता होगी और इसे भारत सरकार के बजट से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। समिति को यह भी पता चला है कि पश्चिम बंगाल में मार्ग अधिकार से संबंधित मुद्दे हैं, जो गैस पाइपलाइन बिछाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

समिति को यह भी पता चला है कि इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) के संबंध में बजट अनुमान 2022-23 में 1798.27 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। समिति को बताया गया है कि बजट अनुमान 2021-22 के दौरान 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, और 31.01.2022 तक आईजीजीएल के लिए संपूर्ण आवंटन खर्च किया गया था, और पश्चिम बंगाल में 189 किमी पाइपलाइन खंड को बाधा मुक्त आरओयू की उपलब्धता की तिथि से 12 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

समिति नोट करती है कि पीडीएचपी परियोजना में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न कस्बों और शहरों के सिटी गैस वितरण को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, पीडीएचपी परियोजना इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के कार्यान्वयन के माध्यम से देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। समिति यह भी उम्मीद करती है कि मंत्रालय, पश्चिम बंगाल में मार्ग अधिकार से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करेगा। समिति, मंत्रालय से पीडीएचपी और आईजीजीएल जैसी महत्वपूर्ण गैस ग्रिड परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है ताकि 2030 तक भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के सरकार के विजन को अमलीजामा पहनाया जा सके।

## सिफारिश संख्या 5

## भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापत्तनम

समिति पाती है कि वंगाली गांव, सब्बावरम मंडल, विशाखापत्तनम में आईआईपीई के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए 201.80 एकड़ की निर्धारित भूमि में से जनवरी, 2022 में आईआईपीई के नाम पर 157.36 एकड़ भूमि का दाखिल-खारिज किया गया था। शेष 26.06 एकड़ भूमि जो कुल निर्धारित भूमि में बिखरी हुई है, पर आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। समिति यह भी पाती है कि आईआईपीई अधिनियम 08.01.2018 को अधिसूचित किया गया था और संस्थान 2016-17 शैक्षणिक वर्ष से आईआईटी, खड़गपुर के संरक्षण में कार्य कर रहा है। समिति को यह भी पता चला है कि संस्थान के संबंध में बीई 2022-23 में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 655.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से परिसर के पूरा होने की मूल समय-सीमा 2022-23 तक होगी। समिति को यह भी बताया गया है कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा

निविदा तैयार कर दी गयी है और दाखिल-खारिज वाली भूमि पर निर्माण गतिविधियां जल्द ही शुरू हो जाएंगी।

समिति दाखिल-खारिज वाली भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने का संज्ञान लेते हुए चिंता के साथ यह नोट करती है कि 26.06 एकड़ की विवादित भूमि के अधिग्रहण का मामला प्रदेश के उच्च न्यायालय में लंबे समय से लटका हुआ है। इसलिए, समिति, मंत्रालय से सिफारिश करती है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निर्णय के लिए राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाए ताकि संस्थान की बेहतर योजना और डिजाइन के लिए प्रारम्भ में 201.80 एकड़ की निर्धारित भूमि में फैली शेष 26 एकड़ भूमि उपलब्ध हो सके। समिति, मंत्रालय से यह भी अपेक्षा करती है कि मूल समय-सीमा और लागत अनुमान के अनुपालन में संस्थान के लिए निर्माण गतिविधियों को युद्ध स्तर पर शुरू करे।

## सिफारिश संख्या 6

## ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनर्जी), बंगलौर

समिति यह नोट करके चकित है कि बीई 2022-23 में ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बैंगलोर की स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और यह चिंता व्यक्त करती है कि वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान इस संस्थान पर किया गया वास्तविक व्यय, बीई 2021-22 में 50 करोड़ रुपये के आवंटन के बावजूद शून्य रहा है। मंत्रालय द्वारा समिति को यह बताया गया है कि संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामला विवादों में रहा है। कर्नाटक सरकार ने इस केंद्र की स्थापना के लिए 150 एकड़ भूमि आवंटित की है और जिसमें से 23.13 एकड़ भूमि को कर्नाटक सरकार के वन विभाग द्वारा जंगल भूमि घोषित किया गया है। इसके अलावा, समिति को बताया गया है कि किसानों ने उक्त भूमि पर अधिकार

का दावा करने के लिए आंदोलन शुरू किया है और तदनुसार, इस मुद्दे पर कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका लंबित है।

समिति यह भी नोट करती है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनर्जी बैंगलोर, एम.टेक कार्यक्रमों की पेशकश करते हुए एनएमआईटी, बैंगलोर के किराए के परिसर से संचालित हो रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि भूमि अधिग्रहण का मुद्दा लंबे समय से संस्थान को परेशान कर रहा है और इसलिए समिति मंत्रालय को सलाह देती है कि वह भूमि के मुद्दे का तत्काल समाधान करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ चर्चा करे। इसके अलावा, समिति, मंत्रालय को संस्थान की स्थापना के लिए राज्य में वैकल्पिक स्थलों की खोज करने की भी सिफारिश करती है ताकि सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक वास्तविकता बन जाए और परियोजना के लिए आवंटित धन का लाभप्रद ढंग से यथाशीघ्र उपयोग किया जा सके।

## सिफारिश सं. 7

### प्रधानमंत्री जी-वन योजना

समिति नोट करती है कि दूसरी पीढ़ी की जैव-रिफाइनरियों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति ने 28.02.2019 को प्रधानमंत्री जी-वन योजना को अनुमोदित किया। योजना का प्राथमिक उद्देश्य 1969.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को 2018-19 से 2023-24 तक की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। समिति यह भी नोट करती है कि वर्तमान योजना में 12 वाणिज्यिक पैमाने की दूसरी पीढ़ी (2जी) जैव-इथेनॉल परियोजनाओं और गैर-खाद्य बायोमास और फीडस्टॉक्स के रूप में अन्य नवीकरणीय के साथ 10 प्रदर्शन पैमाने 2जी जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। योजना के हिस्से के रूप में, उक्त योजना के तहत पानीपत (हरियाणा, आईओसीएल), बठिंडा (पंजाब, एचपीसीएल), बारगढ़ (ओडिशा, बीपीसीएल), नुमालीगढ़ (असम, एनआरएल) में 4 वाणिज्यिक परियोजनाओं में से प्रत्येक को 150 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

के साथ-साथ पानीपत, हरियाणा में इंडियन ऑयल की एक प्रदर्शन परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और ये परियोजनाएं निर्माण के एक उन्नत चरण में हैं।

इस संबंध में, समिति को पता चला है कि सरकारी क्षेत्र के विपरीत, निजी क्षेत्र में अधिक 2जी वाणिज्यिक परियोजनाओं के आने की संभावना है। समिति 2जी इथेनॉल के उत्पादन में मौजूदा व्यावहारिक बाधाओं जैसे किसानों से फीडस्टॉक की आश्वासित आपूर्ति सुनिश्चित करना, धान / पुआल जैसे कृषि अवशेषों का एकत्रीकरण और उसका मौसमी भंडारण, विनिर्माताओं के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य मूल्य निर्धारण और किसानों को अच्छा पारिश्रमिक का भी संज्ञान लेती है। समिति यह जानकर उत्साहित है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य में कृषक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 रुपये प्रति टन धान / पुआल की राजकीय सहायता की घोषणा की है ताकि उसे 2जी उत्पादन संयंत्रों में भेजा जा सके।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति आशा करती है कि मंत्रालय/ओएमसी उपरोक्त मुद्दों को सुलझाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से बात करने के लिए एक समन्वय तंत्र स्थापित करें ताकि 2जी इथेनॉल संयंत्र/जैव-रिफाइनरी स्थापित करना, निजी क्षेत्र के निर्माताओं के लिए एक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव बन जाए। समिति मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित 2जी वाणिज्यिक और प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना में तेजी लाने और निजी कंपनियों को 2जी एथेनॉल के उत्पादन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश करती है।

## सिफारिश सं. 8

**राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि**

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि (एनबीएफ) को बजट अनुमान 2022-23 में 1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। । समिति यह भी नोट करती है कि जहां संशोधित अनुमान 2021-22 के दौरान 1 करोड़ आवंटन किया

गया था, 31.01.2022 तक वास्तविक व्यय 'शून्य' के रूप में दिखाया गया है। समिति को बताया गया है कि राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि को व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और वित्त मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियों से अवगत कराया है जैसे (एक) अन्य मंत्रालयों की मौजूदा समान योजनाओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करना ताकि दोहराव प्रयास और संसाधनों के अधिक प्रसार से बचा जा सके (दो) राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि के तहत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ओआईडीबी कोर्पस निधि का उपयोग किया जाना चाहिए और (तीन) निधि का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब जैव-ईंधन क्षेत्र में अंतराल हों और एनबीएफ के उद्देश्यों को प्रधानमंत्री जी-वन योजना जो पेट्रोलियम मंत्रालय की समान उद्देश्यों वाली एक अन्य योजना है, के साथ जोड़ा जाए । समिति को पता चला है कि पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय व्यय विभाग की इन टिप्पणियों की जांच कर रहा है। अतः, समिति चाहती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय व्यय विभाग के विचारों में पर्याप्त योग्यता को देखते हुए उक्त टिप्पणियों की जांच करें और तदनुसार सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय राष्ट्रीय जैव-ईंधन निधि के उद्देश्यों को पीएम जी-वन योजना के साथ मिलाने पर विचार करे ताकि जैव-ईंधन क्षेत्र के लिए योजनाओं के केंद्रित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

## सिफारिश. सं. 9

### आईएसपीआरएल चरण- दो का निर्माण

समिति नोट करती है कि चंडीखोल (उड़ीसा) और पादुर (कर्नाटक) में आईएसपीआरएल चरण-दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए बीई 2022-23 में 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान शामिल किया गया हैं। यह भी नोट किया गया है कि चंडीखोल में गुफाओं के निर्माण के लिए 400 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया है और उड़ीसा सरकार चंडीखोल परियोजना के लिए इसकी जांच

कर रही है। इसके अलावा, कर्नाटक में पादुर परियोजना के संबंध में, एमओपीएनजी और आईएसपीआरएल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। समिति यह भी नोट करती है कि सामरिक पेट्रोलियम भंडार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं और इसलिए चाहती है कि मंत्रालय, दो राज्य सरकारों के समन्वय से जागरूकता कार्यक्रम शुरू करें और स्थानीय आबादी को संवेदनशील बनाएं ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरा किया जा सके और निर्माण गतिविधियों को शुरू किया जाए।

अतः समिति मंत्रालय को नियमित अंतराल पर इन दो परियोजनाओं की प्रगति पर नजदीकी से नजर रखने और आवश्यकता के अनुसार आवश्यक हस्तक्षेप करने की सिफारिश करती है। इसके अलावा, समिति आशा करती है कि मंत्रालय भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आरई स्तर पर अतिरिक्त निधि के आवंटन के लिए भारत सरकार से संपर्क करें।

## सिफारिश सं. 10

### राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम

समिति नोट करती है कि भारत में 26 तलछटी बेसिन हैं, जो जमीन पर, उथले पानी और गहरे पानी में फैले हुए हैं। 3.36 मिलियन वर्ग किमी के इस कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1.502 मिलियन वर्ग किमी अर्थात इस क्षेत्र के 48% क्षेत्र में पर्याप्त भू-वैज्ञानिक डेटा नहीं है। 2016 में राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गैर-मूल्यांकित क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया था। समिति यह भी नोट करती है कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से, इन क्षेत्रों में संभावित हाइड्रोकार्बन संसाधनों का आकलन करने के लिए इन क्षेत्रों का डेटा अधिग्रहण किया जाएगा। 48,243 एलकेएम के कुल लक्षित क्षेत्र में से, संचयी 46,960 एलकेएम (97.34%) डेटा

पहले ही इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी के हिस्से के रूप में हासिल कर लिया गया है। इसके अलावा, यह पता चला है कि दुर्गम और प्रतिकूल भौगोलिक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों के निष्पादन में व्यावहारिक बाधाओं को देखते हुए, इन क्षेत्रों की हाइड्रोकार्बन क्षमता का आकलन करने के लिए एयरबोर्न भूभौतिकीय भूकंपीय सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ये एयरबोर्न सर्वेक्षण निविदा प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रगति पर हैं। समिति को यह भी पता चला है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एनएसपी के लिए किसी भी बजटीय प्रावधान के गैर आवंटन को देखते हुए, कार्यान्वयन एजेंसी ऑयल इंडिया लिमिटेड इन सर्वेक्षणों के लिए प्रोफार्मा चालान आधार पर लिए गए अग्रिम के निपटान के लिए पूर्ण कार्यों के लिए वास्तविक चालान के आधार पर धन की मांग करेगी।

उपरोक्त को देखते हुए, समिति चाहती है कि मंत्रालय/डीजीएच शेष क्षेत्रों के डेटा को पूरा करने के कार्य में तेजी लाए। इसके अलावा, दुर्गम क्षेत्रों में एयरबोर्न भूभौतिकीय भूकंपीय सर्वेक्षण भी प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं। समिति को सूचित किया गया है कि मंत्रालय ने भारतीय अपतटीय बेसिन, अंडमान बेसिन और ईईजेड के मूल्यांकन पर मिशन अन्वेषन के तहत डेटा करने की योजना बनाई है। इसके लिए, कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। समिति भारत की हाइड्रोकार्बन क्षमता के बेहतर मूल्यांकन और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनडीआर के महत्व का संज्ञान लेते हुए, मंत्रालय को एनएसपी के तहत शेष कार्यों को पूरा करने और कैबिनेट नोट को मंजूरी के लिए अंतिम रूप देने की भी सिफारिश करती है ताकि इस कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष के दौरान आरई स्तर पर पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सके।

## सिफारिश सं. 11

कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना

समिति नोट करती है कि सरकार ने भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है और विभिन्न क्षेत्रों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई रणनीतियों और पहलों की दिशा में काम कर रही है। समिति को विभिन्न नीतिगत उपायों जैसे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, गैस अवसंरचना का विकास और सतत आदि द्वारा देश में अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराया गया है। समिति इस बात को स्वीकार करती है कि मंत्रालय देश में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक पहलुओं को कारगर बनाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत उपाय और कार्य कर रहा है। समिति स्वीकार करती है कि मंत्रालय देश में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुचारु बनाने और निवेश आकर्षित करने के लिएभी कई नीतिगत उपाय और पहल कर रहा है।

समिति यह भी नोट करती है कि चूँकि पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के प्रबंधन संबंधी मुद्दे के निपटान के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अलावा, इन प्रयासों के लिए क्षेत्रीय नीतियों का अध्ययन करने, जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने और अनुसंधान एवं विकास पहल आदि किए जाने की आवश्यकता होगी। तथापि, समिति इस बात को नोट करके निराश है कि बृहद उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए कोई अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र नहीं है। समिति यह भी आशा करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) विभिन्न

हितधारकों को शामिल करके और विचार-मंथन संबंधी बैठकों को आयोजित करे और तदनुसार, इस राष्ट्रीय उद्देश्य को हासिल करने के लिए योजनाओं को सुदृढ़ करे।

इसके अलावा, समिति यह भी नोट करती है कि पिछले कई वर्षों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के स्थिर उत्पादन और कच्चे तेल के बढ़ते आयात के आलोक में, इन उपायों के वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय आँकड़ों को कोरिलेट करने के लिए एक तंत्र विकसित करे जिसके द्वारा वहदिखा सकता है कि भारत इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों के अनुसार,कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने में सफल हुआ है। अन्यथा, कच्चे तेल के आयात को कम करने के प्रयासों में किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों के प्रभाव का आकलन करना मुश्किल होगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय एक उपयुक्त तंत्र तैयार करे और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करे और उद्देश्यों को हासिल करने में अपने उपायों की सफलता का आकलन करे।

## सिफारिश संख्या 12

### अपस्ट्रीम ऑयल पीएसयू का अन्वेषण और उत्पादन संबंधी कार्यकलाप

समिति यह पाती है कि आयात पर देश की अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन बहुत महत्व रखता है। वर्तमान में, भारत अपनी 80 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को कच्चे तेल के आयात के माध्यम से पूरा करता है। विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान ओएनजीसी के कार्यनिष्पादन के संबंध में, नामांकन और एनईएलपी, दोनों व्यवस्थाओं के तहत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगातार गिरावट आई है। समिति को बताया गया है कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी का कारण कोविड काल के दौरान वैश्विक और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कोविड के कारण लगे लॉकडाउन की वजह

से कार्यबल की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध, तेल उत्पादन में प्राकृतिक गिरावट और तैयार क्षेत्रों में पानी की ज़्यादा कटौती, भूविज्ञान संबंधी अकस्मात् घटित घटनाओं के कारण क्षेत्रों में कम उत्पादनऔर प्रमुख तेल क्षेत्रों में अनुमानित उत्पादन से कम उत्पादन है। समिति यह भी नोट करती है कि अपस्ट्रीम ऑयल इंडिया लिमिटेड का कार्यनिष्पादन अर्थात कच्चे तेल का उत्पादन पिछले चार वर्षों से घट रहा है। समिति को यह भी पता चला है कि ऑयल इंडिया के तेल और गैस उत्पादन का बड़ा हिस्सा असम और अरुणाचल प्रदेश से आता है और ईओआर तथा आईओआर प्रौद्योगिकियों के माध्यम से तैयार क्षेत्रों से इसके उत्पादन में वृद्धि की गुंजाइश है। समिति को बताया गया है कि ओएनजीसी ने ईएंडपी क्षेत्र में खोजों का शीघ्र मुद्रीकरण, ईओआर/आईओआर क्षेत्र विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करते हुए उत्पादन क्षेत्रों से उत्पादन संवर्धन, मौजूदा तैयार क्षेत्रों का पुनर्विकास और नए क्षेत्रों/सीमांत क्षेत्रों के विकास जैसे कदम उठाए हैं।

समिति यह नोट करके चिंतित है कि देश में कच्चे तेल के समग्र उत्पादन में एनईएलपी क्षेत्रों से उत्पादन बहुत कम रहा है। हालांकि, मंत्रालय द्वारा समिति को यह आश्वासन दिया गया है कि वर्ष **2022-23** से कच्चे तेल के उत्पादन में बदलाव आएगा और इसके उत्पादन में वृद्धि होगी। समिति चाहती है कि मंत्रालय पिछले कई वर्षों के दौरान की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के आलोक में कच्चे तेल और गैस में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की रणनीति की गंभीरता से समीक्षा करे ताकि इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके और जिन संगठनों/तेल प्रमुखों को यह कार्य सौंपा गया है, उनकी जवाबदेही तय की जा सके। इसलिए, समिति यह सिफ़ारिश करती है कि मंत्रालय देश की समग्र ऊर्जा सुरक्षा के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए ठोस और मूर्तकदम उठाए।

## सिफारिश संख्या 13

कोल बेड मीथेन (सीबीएम)

समिति नोट करती है कि कोल बेड मीथेन (सीबीएम) दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडारहोने के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण गैर-पारंपरिक स्रोतों में से एक रहा है। समिति को यह पता चला है कि देश में सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। समिति को सूचित किया गया है कि गैर-पारंपरिक हाइड्रो कार्बन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत एक विशेष सीबीएम बोली दौर-2021 शुरू किया है, जिसमें 06 भारतीय राज्यों में लगभग 8500 वर्ग किमी. क्षेत्र को कवर करते हुए 15 ब्लॉक (हेल्प) की पेशकश की गई है।

हालांकि, समिति नोट करती है कि ब्लॉकों के लिए बोली शुरू नहीं की गई है और अब तक किसी भी ब्लॉक का आवंटन नहीं किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि 50 संगठनों की भागीदारी के साथ 02 निवेशक बैठकें आयोजित की गई हैं। समिति यह भी नोट करती है कि ब्लॉकों को आवंटित करने के बाद भी, उत्पादन शुरू करने में कम से कम 07 वर्ष लग सकते हैं जो कि एक लंबी अवधि है। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय/डीजीएच जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने के लिए अपेक्षित समय सीमा को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। समिति यह भी चाहती है कि सीबीएम हाइड्रो कार्बन का एक गैर-पारंपरिक स्रोत होने के कारण देश की भावी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी योगदान करे। इस संबंध में, समिति आशा करती है कि मंत्रालय/डीजीएच देश में कोयला संसाधनों के विशाल भंडार का उपयोग करेगा और बड़े पैमाने पर सीबीएम के उत्पादन का पता लगाएगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय समयबद्ध तरीके से सीबीएम ब्लॉक

प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास करेगा और तदनुसार, देश में सीबीएम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा।

## सिफारिश संख्या 14

## सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)

समिति नोट करती है कि बजट अनुमान (बीई) 2022-23 के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी तेल उपक्रमों के आईईबीआर का लक्ष्य बीई 2021-22 के 104620 करोड़ रु.की तुलना में 111354 करोड़ रुपये है। अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) क्षेत्र में, बजट अनुमान 2022-23 के लिए आवंटन का लक्ष्य वर्ष 2021-22 के लिए 49186 करोड़ रु. के बजट अनुमान के मुकाबले 50536 करोड़ रुपये है। हालांकि, ईएंडपी क्षेत्र के लिए वास्तविक व्यय 31 दिसंबर, 2021 तक 29314 करोड़ रु. था। इसके अलावा, रिफाइनरी और विपणन क्षेत्र के संबंध में, बजट अनुमान 2022-23 के लिए 53876 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि पिछले वर्ष का बजट अनुमान 49804 करोड़ रुपए था और 31 दिसंबर, 2021 तक इस क्षेत्र में वास्तविक व्यय 35626 करोड़ रुपये दिखाया गया था। पेट्रो रसायन क्षेत्र के संबंध में, पिछले वित्तीय वर्ष के 5441 करोड़ रु. की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में 6742 करोड़ रुपये प्रदान किये गये है। । वर्ष 2021 के अंत तक इसका वास्तविक व्यय 4986 करोड़ रुपये दिखाया गया था। इसके अलावा, इंजीनियरिंग क्षेत्र ने बीई 2022-23 के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यह 190 करोड़ रुपए था और इसका वास्तविक व्यय केवल 67 करोड़ रुपये दिखाया गया था।

समिति मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक तेल उपक्रम के बीई, आरई और वास्तविक व्यय में कई भिन्नताएँ भी पाती है। उदाहरण के लिए, जनवरी, 2022 तक ओएनजीसी का वास्तविक व्यय 29,800 करोड़ रुपये के मुकाबले 19,388 करोड़ रुपये दिखाया गया था।

ओवीएल के मामले में भी, वास्तविक व्यय 4,326 करोड़ रुपये दिखाया गया था जबकि बीई 2021-22 के लिए यह 8,380 करोड़ रुपये था। आईओसीएल के संबंध में भी, बीई 2021-22 के 28,547 करोड़ रुपये की तुलना में जनवरी, 2022 तक दिखाए गए वास्तविक व्यय 21,410 करोड़ रुपये में भिन्नता है। डाउनस्ट्रीम कंपनी एमआरपीएल ने भी बीई 2021-22 के 850 करोड़ रुपये के मुकाबले 460 करोड़ रुपये का कम वास्तविक व्यय दर्ज किया है। बामर लॉरी ने भी बीई 2021-22 के 40 करोड़ रुपये के मुकाबले 31.01.2022 तक केवल 15 करोड़ रुपये का कम वास्तविक व्यय दिखाया है। इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी कंपनी, ईआईएल ने भी जनवरी, 2022 तक केवल 59 करोड़ रुपये की कम राशि खर्च की है जबकि इसका बीई 2021-22 150 करोड़ रुपए था। सीपीसीएल ने बीई 2021-22 के लिए 384 करोड़ रूपए का आवंटन किया है और यह जनवरी, 2022 तक बहुत अधिक बढ़कर वास्तविक व्यय के रूप में 584 करोड़ रूपए हो गया था।इसके अलावा, एनआरएल ने बीई 2021-22 के लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और 31.01.2022 तक बढ़ाकर 2139 करोड़ रूपए खर्च किया गया था जैसाकि वास्तविक व्यय में दिखाया गया है।

समिति यह देखकर निराश है कि अपस्ट्रीम प्रमुख ओएनजीसी/ओवीएल और ओआईएल सहित सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने पिछले वित्तीय वर्ष के आवंटन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में केवल दो महीने शेष हैं। इसके अलावा, आईओसीएल और एमआरपीएल जैसे ओएमसी तथा बामर लॉरी जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने भी अपने बीई आवंटन का अपने वास्तविक व्यय के अनुसार कम उपयोग किया है। समिति सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को सलाह देती है कि वे वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अपने नियोजित आईईबीआर का पूरी तरह से उपयोग करें। समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि सरकारी क्षेत्र के तेल

उपक्रमों के आईईबीआर कार्य को अनुमानित अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच बड़े अंतर से बचने के लिए और अधिक यथार्थवादी तरीके से तैयार किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय औचित्य और विवेक के सर्वोत्तम मानकों के अनुसार आवंटित निधियों का निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके।

नई दिल्ली;
16 मार्च, 2022
25 फाल्गुन, 1943 (शक)

रमेश बिधूड़ी
सभापति
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
संबंधी स्थायी समिति

**अनुबंध-एक**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का अधिदेश निम्नानुसार है:

1. प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन, गैस हाइड्रेट्स और शेल गैस सहित पेट्रोलियम संसाधनों की खोज और उनका संदोहन।
2. प्राकृतिक गैस, कोल बेड मीथेन और पेट्रोलियम उत्पादों सहित पेट्रोलियम का उत्पादन, आपूर्ति, संवितरण, विपणन और मूल्य निर्धारण।
3. ल्यूब प्लांट्स सहित तेल रिफाइनरियाँ।
4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए योजक (एडेटिव्स)।

   (i) जैव-ईंधन से संबंधित समग्र समन्वय;

   (ii) राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति;

   (iii) जैव-ईंधन और उसके मिश्रित उत्पादों का विपणन, वितरण और खुदरा बिक्री;

   (iv) जैव-ईंधन के विनिर्माण में सहायता के लिए नीति/योजना;

   (v) इस प्रकार के मिश्रण के लिए मानकों को निर्धारित करने सहित जैव-ईंधन के लिए मिश्रण और मिश्रण नुस्खे;

   (vi) राष्ट्रीय जैव-ईंधन विकास बोर्ड की स्थापना और निवर्तमान संस्थागत तंत्र को मजबूत करना; तथा

   (vii) जैव-ईंधन के परिवहन, स्थैतिकी और अन्य अनुप्रयोगों पर अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन।
5. इस प्रकार के मिश्रण के लिए मानकों को निर्धारित करने सहित जैव-ईंधन के लिए मिश्रण और मिश्रण के नुस्खे।
6. जैव-ईंधन और उसके मिश्रित उत्पादों का विपणन, वितरण और खुदरा बिक्री।
7. ट्यूब मिश्रण और ग्रीस।
8. पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण।
9. मंत्रालय द्वारा निस्तारित सभी उद्योगों के लिए योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता।
10. विदेशों में तेल और गैस इक्विटी हासिल करके और अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करके ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
11. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के माध्यम से कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का सृजन और प्रशासन।
12. पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)।

13. सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन, जिनमें हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) आदि शामिल हैं। ),
14. ऑयलफील्ड सेवाओं का नियोजन, विकास और विनियमन।
15. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें उनकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम शामिल हैं, का प्रशासन।
16. उपर्युक्त के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं, विशेष रूप से किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आवंटित उन परियोजनाओं को छोड़कर, को इस सूची में शामिल किया गया है,
17. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53)।
18. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का स्थानांतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 (1993 का 65)।
19. पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)।
20. ईएसएसएसओ (भारत में उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1974 (1974 का 4)।
21. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47)।
22. बर्मा - शैल (भारत में उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1976 (1976 का 2)।
23. कैलटेक्स (कैल्टेक्स ऑयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड और भारत में कैलटेक्स (इंडिया) लिमिटेड अधिनियम, 1977 का अंडरटेकिंग के शेयरों का अधिग्रहण।
24. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) और उसके अधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन ।
25. बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड का प्रशासन।
26. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006।
27. मैसर्स बिएको लॉरी लिमिटेड से संबंधित मामला।
28. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) से संबंधित मामले।
29. प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों से संबंधित मामला।
30. एलएनजी टर्मिनलों से संबंधित मामला।
31. राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) अधिनियम, 2007
32. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), अधिनियम 2017 (2018 का 3) से संबंधित मामला
33. तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और संवितरण का विनियमन) आदेश, 2000।
34. एलपीजी (डीबीटीएल) पहल के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित मामला।
35. मिट्टी के तेल (डीबीटीके) में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित मामला।
36. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) से संबंधित मामला ।

**अनुबंध-दो**

| 2016-17 से 2020-21 तक ओआईएल द्वारा की गई खोजों का सारांश | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं | वि व | राज्य | खोज कुआँ | टीडी (एम) | तरल | मुद्रीकरण स्थिति |
| 1 | 2016-17 | असम | बोरभुइबिल -1 | 4409 | तेल | हाँ |
| 2 | 2016-17 | असम | हपजन-55 | 3358 | तेल | हाँ |
| 3 | 2016-17 | असम | हपजन -62 | 2694 | गैस | हाँ |
| 4 | 2016-17 | असम | हपजन -67 | 3027 | गैस | हाँ |
| 5 | 2016-17 | असम | खरजन-1 | 4158 | तेल | तकनीकी खोज |
| 6 | 2016-17 | असम | मकुम-43 | 3060 | गैस | हाँ |
| 7 | 2016-17 | असम | मकुम -60 | 2823 | तेल | हाँ |
| 8 | 2016-17 | असम | नाहरकतिया-595 | 3029 | तेल | हाँ |
| 9 | 2016-17 | असम | नाहरकतिया-606 | 4051 | तेल | हाँ |
| 10 | 2016-17 | असम | नाहरकतिया-637 | 2894 | गैस | हाँ |
| 11 | 2017-18 | असम | हुकनगरी-2 | 4157 | तेल | हाँ |
| 12 | 2017-18 | असम | लक्कागाँव-1 | 4450 | तेल | हाँ |
| 13 | 2017-18 | असम | दक्षिण भगजन-2 | 4276 | तेल | हाँ |
| 14 | 2017-18 | असम | दक्षिण चंदमरी-5 | 4430 | गैस | हाँ |
| 15 | 2018-19 | आंध्र प्रदेश | थनेलंका-1 | | गैस(एच पीएचटी) | उप-आर्थिक |
| 16 | 2018-19 | असम | धकवाल I-1 | 4045 | गैस | हाँ |
| 17 | 2018-19 | असम | पश्चिम लोहाली-1 | 2741 | गैस | हाँ |
| 18 | 2019-20 | आंध्र प्रदेश | एडुरलंका-1 | 4781 | गैस (एचपी एचटी) | उप-आर्थिक |
| 19 | 2020-21 | असम | दिंजन-1 | 3758 | गैस | 2022 तक मुद्रिकृत किया जाएगा |

अनुबंध–तीन

| ओएनजीसी खोजें :2018-19 (01.04.2019 की स्थिति के अनुसार) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | बेसिन | संभावना/कूप संख्या/जारी नाम | एचसी प्रकार | नई संभावना/ पूल | आईओईआईपी एमएमटी (ओ+ओईजी) | अंतिम एमएमटी (ओ+ ओईजी) |
| 1 | केजी ऑफशोर | केजी982 एनए-एम-6 (एई) | तेल | पूल | 4.14 | 0.62 |
| 2 | एएंडएए बेसिन | बबेजिया - 2 (बीजेएबी) | तेल | पूल | 0.15 | 0.06 |
| 3 | एएंडएए बेसिन | रोखिया-75 (रोब) | गैस | पूल | 0.72 | 0.43 |
| 4 | एएंडएए बेसिन | बारामुरा-31 (बीएमडीआई) | गैस | पूल | 0.16 | 0.09 |
| 5 | केजी ऑफशोर एसडब्ल्यू | जीएस-29-15(एएम शिफ्ट) | तेल | पूल | 0.67 | 0.08 |
| 6 | बंगाल बेसिन | अशोकनगर-1 (अशोकनगर-1) | गैस | संभावना | 1.50 | 0.17 |
| 7 | केजी ऑनशोर | बंटुमिली उत्तर -2 (बीटीएन एबी) | तेल | संभावना | 1.39 | 0.05 |
| 8 | कच्छ/सौराष्ट्र ऑफ एसडब्ल्यू | जीकेएस091 एनडीए-1/ जीकेएस091 एनएफए-1 जीकेएस091 एनएफए-ए | गैस | पूल | 7.34 | 1.76 |
| 9 | विंध्य बेसिन | हट्टा-2 (बी-एचएटी-बी) | गैस | संभावना | 1.56 | 0.93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | असम शेल्फ | जनतापत्थर-1 जेड | गैस | संभावना | 0.13 | 0.08 |
| 11 | मुंबई एसडब्ल्यू | बी-203-2 (बी-203-बी) | तेल और गैस | संभावना | 6.01 | 0.63 |
| 12 | केजी ऑनशोर | सूर्यरावपेटा पश्चिम-1 (सुवा) | तेल | संभावना | 1.85 | 0.003 |
| 13 | केजी ऑफशोर डीडब्ल्यू | केजीडी982एनए-पी1-एस-1 (एए) | गैस | पूल | 1.15 | 0.69 |

**2019-20 ( 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार )**

| क्र. स. | बेसिन | संभावना/कूप संख्या/जारी नाम | एचसी प्रकार | नई संभावना/ पूल | आईओईआईपी एमएमटी (ओ+ओईजी ) | अंतिम एमएमटी (ओ+ ओईजी ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केजी एसडब्ल्यू | वाईएस-6-2_एसयूबी | गैस | संभावना | 35.67 | 4.37 |
| 2 | केजी ऑनलैंड | बिलकुरु- 1 (बीकेएए) | गैस | संभावना | 0.81 | 0.11 |
| 3 | कावेरी | वंजियूर-3 (वीएनएसी) | तेल | संभावना | 6.88 | 1.78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | एएएफबी, त्रिपुरा | सुन्दुलबाड़ी-12 (एसडीएजी) | गैस | पूल | 0.10 | 0.04 |
| 5 | केजी ऑनलैंड | पेनुगोंडा-5 (पीजीएई) | गैस | पूल | 0.15 | 0.06 |
| 6 | केजी ऑनलैंड | गुम्मातरू-1 (जीएमटीएए) | गैस | पूल | 0.18 | 0.11 |
| 7 | मुंबई | बी-218-1 (बी-218-ए) | तेल | संभावना | 3.41 | 0.86 |
| | | | | | | |
| 8 | मुंबई | बी-219-1 (बी-219-ए) | तेल | संभावना | 1.04 | 0.07 |
| 9 | मुंबई | डब्ल्यूओ-24-10 | तेल | पूल | 8.38 | 1.01 |
| 10 | केजी ऑनलैंड | नंदीगामा उत्तर- 1 (एनजीएनएए) | तेल | संभावना | 0.69 | 0.07 |
| 11 | एएएफबी, त्रिपुरा | सुन्दुलबाड़ी - 15 (एसडीएएन) | गैस | पूल | 1.22 | 0.73 |
| 12 | मुंबई | आर-12-6 (आर-12-एफ) | तेल और गैस | संभावना | 29.22 | 1.12 |

2020-21 ( 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार)

| 2020-21 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | बेसिन | संभावना/कूप संख्या/जारी नाम | एचसी प्रकार | नई संभावना/ पूल | आईओईआईपी एमएमटी (ओ+ओईजी) 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.04.2021 को अंतिम एमएमटी (ओ+ओईजी) |
| 1 | केजी डीडब्ल्यू | केजीडी982एन-सीएचएन-बी-1 (केजीडी982एनए-सीएचएन-बी-एए) | गैस | संभावना | 1.18 | 0 .57 |
| 2 | एएएफबी, त्रिपुरा | कुंजाबन-13 (केयूडीडी) | गैस | पूल | 1.05 | 0.52 |
| 3 | केजी डीडब्ल्यू | केजीडी982एनए-आर1-ई-1 | गैस | पूल | 1.6 | 0.82 |
| 4 | केजी ओएन | कविताम दक्षिण-1 (केटीएसी) | गैस | संभावना | 2.43 | 1.44 |
| 5 | एएएफबी, त्रिपुरा | सुंदरबाड़ी-16 (एसडीएपी) | गैस | पूल | 0.24 | 0.14 |
| 6 | केजी डीडब्ल्यू | केजीडी982एनए-पीडीएम-एसएच-1 | तेल | पूल | 2.13 | 0.32 |
| 7 | मुंबई | बीएस-17-1 (बीएस-17-ए) | तेल | संभावना | 7.23 | 4.52 |
| 8 | मुंबई | बी-126एन-1(बी-126एन-ए) | तेल | संभावना | 3.72 | 0.75 |
| 9 | मुंबई | जीके-28-14 | गैस | संभावना | 9.27 | 0.27 |
| 10 | मुंबई | डब्ल्यूओ-5-13 | तेल | संभावना | 20.62 | 3.92 |